कुरुक्षेत्र

मई, 1995 पांच रुपये

वर्ष 1994-95 का ग्रामोन्मुखी बजट

जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की खुदाई का काम जारी

इन्दिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका
'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 40 अंक 7 वैशाख-ज्येष्ठ 1917, मई 1995

कार्यकारी संपादक	:	बलदेव सिंह मदान
उप संपादक	:	ललिता जोशी

उप निदेशक (उत्पादन)	:	एस.एम. चावला
विज्ञापन प्रबंधक	:	बैजनाथ राजभर
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	पी० एन० भुलकुंडे
आवरण सज्जा	:	अलका

एक प्रति : पांच रुपये वार्षिक चंदा : 50 रुपये

फोटो साभार : रमेश चंद्र, फोटो प्रभाग, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

इस अंक में

वर्ष 1995-96 का ग्रामोन्मुखी बजट	सुन्दर लाल कुकरेजा	3
ग्रामीणों के लिए राहतों-रियायतों का बजट	वेद प्रकाश अरोड़ा	6
बजट : ग्रामीण विकास	नवीन पंत	10
नई आर्थिक नीति और सहकारिता	प्रो० उमरावमल शाह	12
1995-96 के आम बजट में ग्रामीण विकास की प्राथमिकताएं	डा० गणेश कुमार पाठक	14
भविष्यवाणी (कहानी)	डा० हरिकृष्ण देवसरे	17
नई पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां और आवश्यक सावधानियां	डा० उमेश चन्द्र	21
विकास में महिलाओं की भागीदारी	डा० लता सिंह	25
विनियमित मंडियों से कृषकों की आय में बढ़ोतरी	डा० राधा मोहन श्रीवास्तव एवं डा० दयाशंकर शुक्ल	26
बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा महज खेल नहीं	अनिता जोशी	28
गांवों में व्यर्थ पदार्थों का उपयोग	डा० राकेश सिंह सेंगर	31
ग्रामीण बेरोजगारी तथा जवाहर रोजगार योजना	डा० अमिताभ लाहिड़ी	34
ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान	डा० भास्कर मिश्र और डा० ऋषि कुमार शुक्ल	36
वन हैं तो जीवन है, अन्यथा......	डा० गुलाब सिंह बघेल	39
मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण : रिकार्ड उपलब्धियां	डा० संजय आचार्य	42
पर्यावरण और विकास की एक सफल कहानी : बहियार	एच. एस. गुप्ता	44
किसानी छोड़ किसान बने	रामस्वरूप जोशी	46
मसाला ही नहीं, औषधि भी हल्दी	मंजू पाठक	47

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। 'कुरुक्षेत्र' हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होती है।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। दूरभाष : 384888

पाठकों के विचार

'कुरुक्षेत्र' का दिसम्बर अंक पढ़ा। इस अंक का अपना अलग ही महत्व है और सार्थकता भी। दिसंबर 94 का आपका अंक ग्रामीण स्वच्छता की समस्याओं को पर्याप्त मात्रा में उजागर करता है और सुखकर अनुभूति यह रही कि इसके निदान हेतु भी महत्वपूर्ण सुझावों को प्रकाश में लाया गया है। इस अंक को पढ़कर मैं हर्षित हो उठा क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वच्छता, संपन्नता की छोटी बहन होती है और मानवीय सभ्यता के विकास की सहयोगिनी होती है।

आज भारत जैसे विकासशील देश के गांवों में स्वच्छता हेतु जागरूकता का अलख जगाने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति स्वच्छता के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता है। हमारे ग्रामीण परिवेश में आज आधुनिकता की दौड़ नहीं दीख पड़ती है न ही इक्कीसवीं सदी को एक ही छलांग में नाप लेने जैसी मानसिकता से हमारा ग्रामीण जीवन त्रस्त है। भारत का बोझ अपने कांधों पर उठाये हमारे किसान मखमल, रेशम या अत्याधुनिक वस्त्रों की चाह नहीं रखते, उनका रिश्ता तो माटी से है, गोबर से है, पक्की सड़कों के अभाव में पहिया चलने से उड़ने वाली धूल से है।

आज गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ग्रामीण लोगों में इसके फायदे के चर्चे होने लगे हैं। आशा और विकास का दीप ग्रामीण समाज में जल चुका है। इसी अंक में रेणु सिंह का आलेख 'ग्रामीण विकास में दूर-संचार सेवाओं की भूमिका' नयी जानकारियों से परिपूर्ण लगा। रामदेव शुक्ल की कहानी 'सुनीता का सपना' भी श्रेष्ठ लगी। डा. विजय कुमार उपाध्याय का लेख 'कैसे बनायें सुलभ शौचालय' प्रेरणादायक प्रतीत हुआ। सचमुच, 'कुरुक्षेत्र' ग्रामीण विकास को समर्पित एक मशाल के समान है।

कुमार पुष्पेश रंजन, नरकटिया निवास,
आदमपुर चौक, भागलपुर-812001 (बिहार)

'कुरुक्षेत्र' का फरवरी 95 का अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में डा. देवनारायण महतो का लेख "श्रम की भट्टियों में झुलसता उन्मुक्त बचपन" अत्यन्त ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक लगा। इस लेख में दिये गये आंकड़े व तथ्य उपयोगी हैं। आशा है कि इस लेख से हमारा समाज, भारत के भविष्य के कर्णधारों अर्थात बालकों के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित होगा।

इसके अतिरिक्त इस अंक में प्रकाशित कहानी 'कर्मयोगी' एक कर्मयोगी के हृदय के अंर्तद्वंद्व को निमित करते हुए अंततः सत्य को विजय दिलाने में सफल रही है। अतः यह भी युवा वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत है।

आशुतोष कुमार शुक्ल,
95/84 ए, सर्वोदय नगर,
भारद्वाज पुरम, इलाहाबाद-211006

'कुरुक्षेत्र' का फरवरी 1995 अंक पढ़कर कुछ ऐसा आभास हुआ कि ग्रामीणों को बाजारों के विकास से ही शोषण से मुक्ति मिलेगी। जब फसल किसान के घर में आती है, तब बाजारों में भाव कम हो जाते हैं, इसलिए अब अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिये कृषि विपणन की संरचना में परिवर्तन करना होगा। गांव-गांव को मंडी से प्रत्यक्ष जोड़ना होगा।

कृषि विपणन, कृषि भंडारण, सहकारी विपणन से जुड़ी संस्थानों में समन्वय जरूरी है।

मुन्ना लाल केवट,
प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी,
कृषि महाविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)

मैं कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। मुझे फरवरी 1995 का अंक बहुत ही उपयोगी लगा। इस अंक में मुझे सबसे अच्छा लेख कृषि विपणन का लगा। इस अंक मे लिखित 'कर्मयोगी' कहानी भी अच्छी लगी है। इस अंक में प्रस्तुत ग्रामीण रोजगार के लेख हमें बहुत ही पसन्द आये हैं जोकि विभिन्न उद्योगों पर निर्भर हैं। इस अंक में लघुकथा 'अभिशाप' में पिता का बेटे की अपेक्षा बेटी को कम प्रेम करना बिल्कुल अन्याय है। लड़की भी किसी लड़के से कम नहीं होती है बशर्ते उन्हें उपयुक्त समय और अवसर प्रदान किए जाएं।

'कुरुक्षेत्र' के इस अंक में कोई त्रुटि नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 'कुरुक्षेत्र' में कहानी और लघुकथा दोनों दी जाएं जैसा कि फरवरी 1995 के अंक में प्रस्तुत हैं।

वीरेन्द्र प्रताप चौधरी,
28 बी/76 सी/2,
डडिया, अल्लापुर, इलाहाबाद

वर्ष 1995-96 का ग्रामोन्मुखी बजट

✍ सुंदर लाल कुकरेजा

आर्थिक विकास अपने आप में साध्य नहीं, वह सामान्य नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक साधन है। इस दृष्टि से वर्ष 1995-96 के बजट को ग्रामोन्मुखी बजट कहना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सामाजिक समता लाने और निर्धनता निवारण तथा भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खादी व ग्रामोद्योग, हथकरघा और सहकारिता आदि को बढ़ाने के लिए इस बजट का काफी बड़ा भाग रखा गया है। नई आर्थिक नीति लागू करने का मूल उद्देश्य ही यह था कि देश की बिगड़ रही अर्थ व्यवस्था में सुधार करके आर्थिक उपलब्धियों का लाभ समाज के सभी वर्गों और विशेषकर उन वर्गों को दिया जा सके जो अपने सीमित साधनों के कारण अभी तक उससे वंचित थे। आर्थिक विकास में तेजी लाकर गरीबी मिटाना भारत की आर्थिक रणनीति का मुख्य आधार रहा है।

पिछले तीन वर्षों के बजटों में एक ओर विकास और निवेश तथा आधुनिकीकरण तथा दूसरी ओर निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की नीति अपनाई गई। अगले वर्ष के बजट में केन्द्रीय योजनागत आबंटन तथा कर-प्रस्ताव इसी रणनीति को आगे बढ़ाने और उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं।

वर्ष 1995-96 के बजट की सबसे मुख्य विशेषता गांवों में कृषि में पूंजी निवेश और पूंजी निर्माण की कमी को दूर करने के उपाय करना है। गांवों में अनेक ऐसी परियोजनाएं संसाधनों के अभाव में अधूरी पड़ी हैं जो यदि पूरी कर ली जाएं तो उनसे गांवों का कायाकल्प हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं, जल आपूर्ति प्रबंध तथा मिट्टी के संरक्षण आदि के पूरा न होने से वे ग्रामीण जनता की आय व रोजगार में वृद्धि के मार्ग में बाधा बन गई हैं। ऐसी अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस बजट में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत एक नई ग्रामीण आधारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई है जिससे राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका संसाधनों का अभाव पूरा किया जा सके। सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वापसी-अदायगी तथा ब्याज की गारन्टी दिए जाने पर परियोजना विशेष के आधार पर ये ऋण दिए जायेंगे। इस निधि से ऋण के लिए ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी जो कम से कम समयावधि में पूरी की जा सकें। इस निधि के लिए संसाधन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाए जायेंगे और अनुमान लगाया गया है कि आरम्भ में इस निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जा सकेगी।

खादी और ग्रामोद्योग हमारे गांवों में रोजगार तथा कृषि कार्य से भिन्न आय के अवसर प्रदान करते हैं। इनको प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष के बजट में एक नई योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को एक हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जायेंगे। यह आयोग इस राशि को सीधे अथवा राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से अपनी इकाइयों को उधार देगा। इसके लिए क्रमशः केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें बैंकों को उधार वापसी की गारन्टी देंगी।

इस बजट में हथकरघा उद्योग को भी ऋण की सुविधा का विस्तार करके उसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हथकरघे हमारे ग्रामीण जीवनयापन का एक प्रमुख आधार और एक परम्परागत कला और तकनीक हैं। इनसे लाखों निर्धन बुनकरों को रोजगार मिलता है किन्तु इनके लिए वित्तीय ऋण और सहायता अभी तक केवल जिला और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ही मिलती थी। अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड अन्य वाणिज्यिक बैंकों को भी धन देगा ताकि वे भी सहकारी हथकरघा संस्थाओं को ऋण दे सकें।

ग्रामीण क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष के बजट में भी कई कदम उठाए गए थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की हिस्सा पूंजी गत वर्ष बढ़ाकर तीन गुना कर दी गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग दिवालिया स्थिति को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए गए थे। सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा भी लगभग ड्योढ़ी कर दी गई थी। इन उपायों से ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिक मात्रा में और अधिक स्रोतों से धन मिल सकेगा।

ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन

ग्रामीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों को बजट में प्राथमिकता दी गई है जो सीधे निर्धनों को लाभ पहुंचाते हैं। इसके लिए इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है। 1992-93 में ग्रामीण विकास के लिए केवल 3100 करोड़ रुपये का प्रबंध हो सका था। 1994-95 में इसे दुगने से भी अधिक 7010 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस वर्ष इसमें 690 करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई है और कुल आवंटन 7700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आठवीं योजना की अवधि में ग्रामीण विकास पर तीस हजार करोड़ रुपये व्यय करने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ाए गए इस कदम के सुफल भी दिखने लगे हैं। गांवों में रोजगार कार्यक्रम बढ़े हैं और वर्ष 1991-92 में जहां लगभग अस्सी करोड़ मानव दिवसों का रोजगार जुटाया जा सका था, वहां 1995-96 में 129 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार जुटाए जा सकेंगे।

सहकारिता ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। गांवों की ऋण संबंधी जरूरतें, विस्तार सम्बंधी सहायता और विपणन सुविधाएं प्रदान करते रहने के लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण का प्रवाह, इस वर्ष के बजट में 14 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है जो गत वर्ष 12 हजार करोड़ रुपये था। इसके अन्तर्गत अगले वित्त वर्ष में महिलाओं के लिए 220 सहकारी समितियों और कमजोर वर्गों के लिए 330 सहकारी समितियों के माध्यम से सहायता दी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक धन के आवंटन और ग्रामीणों को विभिन्न माध्यमों से ऋण की अधिक सुविधाओं से कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश की कम मात्रा को पूरा करने का प्रयास किया गया है। कृषि क्षेत्र में, उद्योगों के मुकाबले पूंजी का प्रवाह और निवेश बहुत कम है और हमारे नीति नियोजकों के लिए यह सदा चिन्ता का विषय बना रहा है। बजट में इस असन्तुलन को कुछ सीमा तक ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

चार दूरगामी कार्यक्रम

इन उपायों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय अर्जित करने की सम्भावनाओं में वृद्धि होगी। फिर भी देहातों में रहने वाले एक वर्ग तक इनसे सीधे लाभ नहीं पहुंच पाते विशेषकर वृद्ध, महिलाएं और बच्चे तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के निर्धन लोगों को मदद की आवश्यकता बनी रहती है। इन वर्गों के लिए भी वित्तमंत्री ने अपने बजट में व्यवस्था की है और चार ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की है जिनके दूरगामी परिणाम होंगे और जिनका सीधा लाभ इच्छित वर्ग को ही मिलेगा।

पहले कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों की आवास सुविधाओं की गम्भीर कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवास प्रदान करने के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1994-95 में लगभग चार लाख मकानों के लिए वित्तीय सहायता दी गई। नए बजट में इस लक्ष्य को ढाई गुना बढ़ा कर 1995-96 में दस लाख मकानों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बेघरों को अपना घर बसाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

निर्धन वर्ग में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना वृद्धों और महिलाओं को करना पड़ता है। महिलाएं घर का बोझ सम्भालने के कारण अधिक कमाई भी नहीं कर सकतीं। इस बजट में निर्धन वर्ग के परिवारों की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव-पूर्व तथा प्रसव पश्चात् मातृत्व देखभाल हेतु पोषाहार देने की व्यवस्था की गई है।

परिवार में कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार के भरण पोषण का सारा भार विधवा पर आ जाता है जो पहले ही निर्धनता के कारण असहाय होती है। ऐसी विधवाओं की सहायता के लिए इस बजट में पहली बार निर्धन परिवार को पांच हजार रुपये की एकमुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन

सभी प्रकार के आर्थिक विकास के बावजूद, निर्धन परिवार के वृद्ध जन किसी प्रकार का रोजगार या आय अर्जित करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। उनके दुखःभरे जीवन के अंतिम वर्ष और भी ज्यादा कष्टमय हो जाते हैं। उनकी कठिनाइयों की ओर भी वित्तमंत्री का ध्यान गया है और उनको दूर करने के कदम भी उठाए गए हैं। इस बजट में एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत निर्धनता रेखा से नीचे के वर्ग के 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 75 रुपये प्रतिमाह की राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।

इन सहायता योजनाओं से निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लगभग एक करोड़ 40 लाख लोग लाभान्वित होंगे जिनमें लगभग तीन चौथाई महिलाएं होगी जिन्हें वृद्धावस्था, वैधव्य अथवा मातृत्व आदि कारणों से सहायता की आवश्यकता है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं के जरिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाएगी और इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारें मिलकर धन उपलब्ध करायेंगी।

जब वृद्धों, विधवाओं, महिलाओं और माताओं के कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है तो बच्चों को भी उनसे अलग नहीं रखा जा सकता। बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए भी बजट में पोषाहार की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्य सरकारें स्कूलों में बच्चों को दिन का भोजन देने की योजनाएं चला रही हैं। इससे न केवल बच्चों को पोषाहार मिलता है, अपितु स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ती है। केन्द्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। सरकारी अनाज गोदामों में पर्याप्त खाद्य सामग्री को देखते हुए तथा स्थानीय परिवर्तनों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार अब यह योजना चरणबद्ध रूप से सारे देश में लागू करेगी।

एक वर्ग के रूप में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नागरिक हमारे ग्रामीण समाज के सबसे निर्धन सदस्य हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि जनजातीय बहुलता वाले एक सौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अनुसूचित जनजातियों की ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देगा। 1995-96 के बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सामूहिक जीवन बीमा योजना

जीवन बीमा, आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है किन्तु अपनी निर्धनता के कारण ग्रामीण जनता इसका लाभ नहीं उठा पाती है। नए बजट में उन्हें जीवन बीमा निगम की एक नई सामूहिक जीवन बीमा योजना द्वारा यह सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा लागू किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 70 रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम पर पांच हजार रुपये का जीवन बीमा कवच प्रदान किया जायेगा। गरीब परिवारों के लिए इस प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इस बीमे का लाभ उठाने वाले को शेष 50 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा। इस आर्थिक सहायता को प्रत्येक निर्धन परिवार में एक पालिसी तक सीमित रखा जायेगा। अन्य लोगों के लिए प्रीमियम पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। इस योजना से जीवन बीमा का लाभ मिलने के साथ-साथ बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इस बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि खाद्य व उर्वरक आदि पर आर्थिक सहायता की राशि में काफी वृद्धि कर दी गई है। पिछले वर्ष के बजट में खाद्य व उर्वरक सब्सिडी के लिए केवल चार हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इस बजट में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5400 करोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों की सस्ती आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5250 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

वर्ष 1995-96 की वार्षिक केन्द्रीय योजना में ग्रामीण विकास और कृषि के लिए अनेक कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनके अनुसार रोजगार बीमा योजना पर 1570 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देशभर के 2443 ब्लाकों को शामिल किया जायेगा और 37 करोड़ 28 लाख मानव दिवसों का रोजगार जुटाया जायेगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 640 करोड़ रुपये से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को सहायता दी जायेगी। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में 1110 करोड़ रुपये के व्यय से मार्च 1996 तक 73,000 घरों तक पानी पहुंचाया जायेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में 3500 गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी और सवा तीन लाख पम्पसेटों को बिजली दी जायेगी। अगले एक वर्ष में 86 लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरकों और 26 लाख टन फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

इन प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इस बजट में शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक, बुनियादी, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका भी ग्रामीण जनजीवन पर गहरा और दूरगामी असर पड़ेगा।

(शेष पृष्ठ 16 पर)

नया बजट

ग्रामीणों के लिए राहतों-रियायतों का बजट

✍ वेद प्रकाश अरोड़ा

कृषि हमारे समूचे अर्थतंत्र और उसके बहुआयामी विस्तार-विकास का मूलाधार है। कोई भी देश औद्योगिक दृष्टि से चाहे कितना आगे बढ़ा हुआ हो अगर वह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है तो उसे हमेशा सहायता के लिए दूसरों का मुंह जोहना पड़ता है। इसीलिए गैट-वार्ता के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की राह में अमरीका और फ्रांस के किसानों के हितों का आपसी टकराव एक बड़ी रुकावट बन गया था। भारत का यह सौभाग्य है कि वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नत न होते हुए भी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। उसे अनाज के लिए अन्य देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। वैसे भी हमारे देश के कुल श्रमिकों के दो तिहाई को कृषि से अपनी रोजी रोटी मिलती है और जनसंख्या का 64 प्रतिशत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है जो किसी भी विकसित और विकासशील देश की तुलना में अधिक है। निस्संदेह कृषि आगे भी कई वर्षों तक हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ बनी रहेगी। यहां अनाजों और व्यापारिक फसलों—दोनों के उत्पादन में नई से नई ऊंचाइयों को पार किया जा रहा है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय आय में कृषि का अंशदान लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। अब तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कुल औद्योगिक उत्पादन का 19 प्रतिशत भाग तैयार होने लगा है। इनमें कुल श्रमिकों के लगभग 18 प्रतिशत को रोजगार मिला हुआ है। आठवीं योजना के दौरान संगठित खाद्य परिशोधन क्षेत्र में डेढ़ खरब रुपये से भी अधिक का पूंजी निवेश हो जायेगा जिसमें विदेशी निवेश का हिस्सा लगभग 20 अरब रुपये होगा। इसके बढ़ते महत्व को देखते हुए ही सरकार ने इसे प्राथमिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। सरकार का कृषि नीति प्रस्ताव का यह तथ्य सिद्ध कर देता है कि सरकार ने कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को कितना अधिक महत्व दे रखा है। असल में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारतीय कृषि की प्रगति सतत विकास और उत्तरोत्तर उपलब्धियों की जाज्वल्यमान गाथा है। अनाज का उत्पादन 1950-51 में मात्र पांच करोड़ 8 लाख टन था। लेकिन आज यह साल दर साल बढ़ता हुआ 18 करोड़ 50 लाख टन के नए कीर्तिमान को स्पर्श कर रहा है। इतना ही नहीं, अब देश में इतना अनाज हो गया है कि वह सुरक्षित भंडारों में समा नहीं पा रहा है। सुरक्षित भंडारों में एक जनवरी 1995 को तीन करोड़ 10 लाख टन अनाज हो चुका था जो अपने में एक रिकार्ड है। निस्संदेह इस धरातल तक पहुंचने में कई वर्षों तक इन्द्र देवता की कृपा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार ने उपज बढ़ाने के लिए पानी और उर्वरकों की उपलब्धता, किसानों को उपज के प्रोत्साहनकारी मूल्य दिलाने, सब्सिडियां बढ़ाने, नई-नई तकनीकों और नई-नई मशीनों के प्रयोग और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में जो ठोस कदम उठाए हैं उनके अंशदान को किसी भी हालत में कम नहीं माना जा सकता।

अगले वित्त वर्ष का बजट सतरंगी इन्द्रधनुष से भी बढ़कर इन सभी क्षेत्रों के रंगों को अपने दामन में समेटे हुए है। उत्पाद-शुल्कों और सीमा शुल्कों में राहत देकर तथा करों का भार हल्का कर जहां उद्योगों, मध्यवर्गों और आम जनता के कष्ट कम करने का प्रयास किया गया है वहां नए बजट में गांवों, ग्रामीणों, पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण ऋण व्यवस्था, ग्रामीण बैंकों, खादी और ग्रामोद्योगों, गांवों के गरीब बुनकरों, गरीब ग्रामीणों के बीमे, उनके लिए रिहायशी मकानों, वहां के बड़े-बुजुर्गों, युवा दम्पत्तियों और आने वाली संतानों—सभी के हित में कुछ न कुछ ठोस प्रावधान है। कर राहत और रियायतों का सन्देश मुखरित किया गया है। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि नए बजट में राहतों-रियायतों का अम्बार-सा लगा है। ग्रामीण समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे यह बजट पसंद न आया हो या उसे इससे लाभान्वित होने की सम्भावना न हो। पहले के बजटों में यहां वहां कसैलापन रहता था लेकिन यह बजट मिश्री की डली की तरह कहा जा सकता है जिसे कहीं से भी काटो अथवा तोड़ो मिठास ही मिठास मिलेगी।

ग्रामीण विकास के लिए 77 अरब रुपये

गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता

देने की नीति के अनुसार केंद्रीय योजना के लिए इस बजट में सहायता मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, रोजगार जुटाने, गरीबी दूर करने तथा मानव-संसाधन विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई है। गांवों में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर तो विशेष जोर दिया गया है। आर्थिक सुधारों की वर्तमान प्रक्रिया के दौरान भी इनके लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में ग्रामीण विकास विभाग का व्यय बढ़ाकर 70 अरब 10 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह राशि दो वर्ष पहले अर्थात 1992-93 के लिए नियत 31 अरब रुपये की राशि से दुगुनी से भी अधिक थी। अगले वित्त वर्ष अर्थात 1995-96 के लिए यह राशि और भी बढ़ाकर 77 अरब रुपये कर दी गई है। इस तरह ग्रामीण विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 3 खरब रुपये के व्यय लक्ष्य को आसानी से पार किया जा सकेगा। 1995-96 की वार्षिक योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादों में विविधता लाने पर पहले की तरह जोर दिया जाता रहेगा जिससे बागवानी जैसी अधिक मूल्य देने वाली अधिक कृषि-योजनाएं हाथ में ली जा सकें। हरित क्रांति (कृषि उत्पादन में) और श्वेत क्रांति (दुग्ध उत्पादन में) के बाद अब हम दो नई क्रांतियों में प्रवेश कर चुके हैं। नीली (मछली पालन) और पंख (कुक्कुट) क्रांतियों की गति को तेज करने के लिए बजट में कुछ उपाए किए गए हैं। प्रमुख मूल कुक्कुट स्टाक पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। मुर्गी पालन के लिए मिश्रित दाने में प्रयुक्त कुछ दवाओं पर शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। जहां तक मछली पालन उद्योग का संबंध है, कुछ प्रकार के टीकों, झींगा मछली से बने मिश्रित पदार्थों और झींगा प्रसंस्करण की वस्तुओं पर आयात शुल्क 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। मछली पालन उद्योग के विस्तार के लिए 40 हजार हेक्टेयर इलाके में मछली-पालन के सघन फार्म बनाये जायेंगे।

पानी का अधिकतम तथा लाभकारी प्रयोग करते हुए अगले वित्त वर्ष में 38 हजार हेक्टेयर भूमि में छिड़काव पद्धति से सिंचाई की जायेगी। पर्यावरण के अनुकूल और उसमें सहायक समन्वित कीट नियंत्रण कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जायेगा। किसानों को उनका कार्य ज्यादा अच्छी तरह समझाने और इस कार्य के महत्व को उजागर करने के लिए 50 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके लिए डेढ़ हजार प्रशिक्षण और प्रदर्शन-कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कृषि मशीनें एवं वस्तुएं

कृषि और उसके समवर्गी क्षेत्रों की सहायता के लिए आम मशीनों और उनके हिस्से/पुर्जों के आयात शुल्कों में आम कटौती की गई है। लेकिन कृषि आधारित कुछ वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए माल्ट और स्टार्च पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, रेशम के कोये पर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और औलियोपाइन बैरोजा पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। उधर कृषि और कृषि-प्रसंस्करण में प्लास्टिक का प्रयोग दिनों दिन बढ़ते जाने के कारण उस पर उत्पादन शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तथा प्लास्टिक से बनी और शुल्क के दायरे में आने वाली वस्तुओं पर भी उत्पाद शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। थोक में आयात किए जाने वाले प्लास्टिक पर 45 से 65 प्रतिशत के बीच लग रहे मौजूदा आयात शुल्क को भी 40 प्रतिशत की समान दर पर लाया गया है।

सब्सिडी

अनाजों और अन्य कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने का सिलसिला जारी ही नहीं रखा गया बल्कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर एक तरह से बेरोकटोक स्पर्धा और सब कुछ बाजार की प्रवृत्तियों पर छोड़ देने के नए आर्थिक परीक्षण के विपरीत पूर्ववत कार्रवाई जारी रखी गई है। सब्सिडी में यह वृद्धि 11 अरब रुपये की गई है। अब कुल खाद्य सब्सिडी 52 अरब 50 करोड़ रुपये की होगी। उधर उर्वरकों के लिए भी सब्सिडी बजटीय स्तर से 11 अरब 66 करोड़ रुपये बढ़ाई जा रही है। यह इसलिए कि आयात की आवश्यकता पूरी की जा सके और पिछली बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। अगले वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी के लिए कुल 54 अरब रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगर इसमें सस्ते फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पांच अरब रुपये की आर्थिक सहायता जोड़ दी जाए तो सस्ते और महंगे दोनों प्रकार के उर्वरकों के लिए सब्सिडी की कुल रकम 59 अरब रुपये हो जायेगी।

निर्धनों के लिए चार कार्यक्रम

नए बजट में गरीबों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के लिए दूरगामी प्रभाव वाले चार कार्यक्रमों

की घोषणा की गई है। पहले कार्यक्रम में रिहायशी मकान बनाने की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख रिहायशी मकान बनाये जाएंगे। दूसरे कार्यक्रम में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना आरंभ की जाएगी। तीसरा कार्यक्रम सामूहिक जीवन बीमा योजना का है और चौथा कार्यक्रम स्कूली बच्चों को दिन का भोजन देने के बारे में है।

जहां तक पहले कार्यक्रम का संबंध है इसमें देहाती इलाकों के निर्धन व्यक्तियों के रिहायशी मकानों की भारी कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इस समय इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकान बनाने के एक बड़े कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को सब्सिडी के आधार पर लगभग चार लाख रिहायशी मकान दे दिए जाने की आशा है। अब अगले वित्त वर्ष में यह लक्ष्य बढ़ाकर ढाई गुना अर्थात 10 लाख आवासीय मकान बनाने का रखा गया है। दूसरे शब्दों में अगले पांच वर्षों में देहाती इलाकों में 50 लाख मकान बना दिए जाएंगे।

दूसरे और तीसरे कार्यक्रम अर्थात नई राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना तथा निर्धन परिवारों की सहायता के लिए नई सामूहिक जीवन बीमा योजना को पंचायतों के माध्यम से लागू किया जायेगा। बीमा योजना का उद्देश्य पंचायतों के सक्रिय सहयोग से देहाती इलाकों में सामाजिक बीमा के साथ-साथ बचत को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 70 रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम पर पांच हजार रुपये का बीमा किया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों प्रीमियम का 25-25 प्रतिशत देंगी और बीमाशुदा व्यक्ति बाकी आधी रकम यानि 70 रुपये देगा। लेकिन यह सहायता प्रति निर्धन परिवार की एक पालिसी पर ही दी जायेगी। परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई सब्सिडी नहीं दी जायेगी। जहां तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का संबंध है, यह निर्धन वर्गों में उन बड़े बुजुर्गों और कमजोर व्यक्तियों के लिए है जो काम करने में अशक्त हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तीन भाग हैं। एक भाग के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले और साथ ही गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 75 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी। दूसरे भाग के अंतर्गत परिवार में मुख्य रूप से रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति का देहांत हो जाने पर उसके निर्धन परिवार को एकमुश्त पांच हजार रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जायेगी। तीसरे भाग के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म के पहले और जन्म के बाद समुचित देखभाल के लिए पोषाहार दिया जायेगा। इस योजना से अंततः गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों में लगभग एक करोड़ 40 लाख जरूरतमंदों को लाभ होगा। इनमें भी लगभग तीन चौथाई महिलाएं होंगी जिन्हें वृद्धावस्था, वैधव्य और मातृत्व में सहायता की बहुत जरूरत रहती है।

चौथे कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का भोजन देने से न केवल बच्चों का पोषण अच्छी तरह से होगा बल्कि विद्यालयों में उपस्थिति भी बढ़ जायेगी। इससे प्राथमिक शिक्षा का प्रसार तो होगा ही, भरे हुए सरकारी गोदामों के अनाज का सही उपयोग भी होगा। स्थानीय परिवर्तनों और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्यक्रम को लागू करने की रूपरेखा एक समिति इस ढंग से निर्धारित करेगी कि इसे 1995-96 में ही लागू किया जा सके।

ग्रामीण रोजगार

जब हम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि इस कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से 1991-92 में लगभग 80 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार जुटाया गया। 1995-96 में तो इन कार्यक्रमों से एक अरब 29 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार का सृजन होने का अनुमान है। सच तो यह है कि अर्थ व्यवस्था के विकास से रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। 1991-92 में लगभग कुल 30 लाख व्यक्तियों को नए रोजगार जुटाये गए। बाद के दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष दुगुने व्यक्तियों अर्थात 60 लाख व्यक्तियों के लिए नए-नए रोजगारों की व्यवस्था की गई। 1994-95 में तो रोजगारों में इससे भी अधिक वृद्धि हुई है। इससे कुछ लोगों का यह कथन अब असत्य प्रमाणित होने की संभावना है कि सुधारों से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी।

कृषि में पूंजी निवेश

ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत संरचना को मजबूत बनाने वाली बहुत सी परियोजनाएं आरंभ तो की जा चुकी हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं। इससे ग्रामीण जनता की संभावित आय और रोजगार की बहुत क्षति हो रही है। बुनियादी

ग्रामीण ढांचे की परियोजनाएं तेजी से पूरी करने के लिए इस अप्रैल से एक नया कोष बनाया जा रहा है। इसका नाम है ग्रामीण मूल संरचना विकास कोष। यह कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत काम करेगा। इस कोष से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, मिट्टी संरक्षण, जल संभरण (जलधारा), प्रबंध और बुनियादी क्षेत्र की अन्य लागू की जा रही मझोली और लघु परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों को कर्ज दिया जायेगा। कर्ज विशिष्ट परियोजना के आधार पर दिया जायेगा। सम्बद्ध राज्य सरकार कर्ज की अदायगी और ब्याज की गारंटी देगी। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो कम से कम समय में पूरी की जा सकें। इस कोष के लिए वाणिज्य बैंक साधन जुटायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ये बैंक उतनी राशि देंगे जो कृषि कर्जे के लिए प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य से कम रह गई रकम के बराबर होगी। यह राशि बैंक के विशुद्ध कर्ज के 1.5 प्रतिशत तक होगी। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 20 अरब रुपये की राशि की व्यवस्था की जा सकेगी।

अनुसूचित जनजातियों को ऋण का प्रावधान

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग ग्रामीण समाज के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। जनजातीय बहुल एक सौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड अनुसूचित जनजातियों की कर्ज की जरूरतें पूरी करने के लिए सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण राशि देगा। अगले वित्त वर्ष में इस काम के लिए चार अरब रुपये निर्धारित किये गये हैं। नाबार्ड, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लाभार्थियों की लिए एक अरब रुपये और आवंटित करेगा, जिनकी पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम करेंगे। इस राशि से इन लाभार्थियों को कृषि और गैर कृषि कार्यों में पूंजी निवेश की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी। यह राशि व्यापारिक और सहकारी बैंकों की मार्फत मिलेगी।

सहकारी संस्थाएं

कर्ज देने, विस्तार-कार्यक्रमों को सहायता देने, विपणन और प्रसंस्करण के काम को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थाओं में नई जान डाली जायेगी। सहकारी संस्थाओं की मार्फत कृषि कर्ज का प्रवाह बढ़ा दिया जायेगा। 1995-96 में इसका लक्ष्य एक खरब 40 अरब रुपये रखा गया है, जबकि 1994-95 में इसका अनुमान लगभग एक खरब 20 अरब रुपये लगाया गया है। महिलाओं की 220 सहकारी समितियों और कमजोर वर्गों की 330 सहकारी समितियों को सहायता दी जाएगी। ग्रामीण-क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग भी आय का एक बड़ा साधन है। इसलिए इस बजट में एक नई योजना के अंतर्गत बैंक खादी और ग्रामोद्योग आयोग को संकाय-आधार पर ऋण प्रदान करेंगे। राज्य स्तर के खादी और ग्राम उद्योग बोर्डों की मार्फत या फिर सीधे यह ऋण राशि खादी और ग्राम उद्योग इकाइयों को दी जायेगी। इन ऋणों की गारंटी राज्य सरकारें देंगी।

इस सबको देखते हुए कह सकते हैं कि देश को समृद्ध बनाने का लम्बा रास्ता हम तेजी से तय कर रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हमें कृषि के सभी क्षेत्रों में अधिक उत्साह, लगन और सूझ-बूझ से काम लेना होगा तभी देश को धन धान्य से परिपूर्ण किया जा सकेगा, किसानों को खुशहाल बनाया जा सकेगा और खेत खलिहानों में खुशियां बिखेरी जा सकेंगी तथा कृषि उद्योगों के निर्यात में नई बुलंदियों को छुआ जा सकेगा।

268 सत्यनिकेतन,
मोती बाग, नई दिल्ली

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिये। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र अवश्य भेजिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', 467, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजें। —सम्पादक

बजट : ग्रामीण विकास

✍ नवीन पंत

वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह का पांचवा बजट अप्रत्याशित है। दूसरी बार उन्होंने कोई नए कर या शुल्क नहीं लगाए हैं और वर्तमान करों में कोई वृद्धि नहीं की है। उनके इस बजट की कठोरतम आलोचना यह कह कर की गई है कि यह 1996 के लोक सभा चुनावों के पूर्व का बजट है। लेकिन उनके आलोचकों ने भी यह बात स्वीकार की है कि लोकप्रिय बजट तैयार करते समय भी वित्त मंत्री ने अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों की नीति को जारी रखा है और अर्थ व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने वाले उपायों में कोई ढील नहीं दी है। उन्होंने अनेक वस्तुओं के सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में काफी कटौती की है। उन्होंने लगभग समाज के सभी वर्गों को रियायतें प्रदान की हैं।

कृषि क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि

वित्त मंत्री ने 1995-96 के केन्द्रीय योजना के परिव्यय में 12.41 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली विवेकाधीन राशि में 17 प्रतिशत की वृद्धि की है। कृषि क्षेत्र के परिव्यय में 14.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है और ग्रामीण विकास के खर्च में 8.3 प्रतिशत की और शहरी विकास के खर्च में 37.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। वित्त मंत्री ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली राशियों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता (सब्सिडी) को 35 प्रतिशत बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपये और खाद्य सब्सिडी की राशि में 31.25 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 5250 करोड़ रुपये कर दिया है। उर्वरक सब्सिडी का लाभ देश के किसानों को और खाद्य सब्सिडी का लाभ देश के ग्रामीण तथा शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों को मिलेगा। सरकार पर इस बात का जबरदस्त दबाव था कि वह उर्वरक और खाद्य "सब्सिडी" में भारी कटौती करे।

ग्रामीण विद्युतीकरण की राशि में छह गुनी वृद्धि

इस बजट की एक विशेषता यह है कि जहां साधनों के अभाव में सरकार ने बिजली के लिए केन्द्रीय परिव्यय में कटौती की है वहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए योजना खर्च में छह गुनी वृद्धि की गई है। 1994-95 के बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये राशि थी। उसे 1995-96 में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने में बिजली के महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उसका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत बढ़ने से न केवल ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि इससे कृषि जिन्सों, फलों, सब्जियों और फूलों के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। पक्की सड़कों, साक्षरता, स्वास्थ्य केन्द्रों और बिजली की सहायता से ग्रामीण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा।

ग्रामीण विकास के लिए अतिरिक्त साधन

वित्त मंत्री ने पिछले बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय को 1992-93 के परिव्यय 3100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7010 करोड़ रुपए कर दिया था। वर्ष 1995-96 में इस आवंटन को बढ़ाकर 7700 करोड़ रुपये किया जा रहा है। साधनों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा आती है। वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में साधनों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत एक विशेष निधि बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए व्यापारिक बैंकों से 2000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जाएगी। केन्द्र और राज्य सरकारें इस बैंक को ऋण की गारंटी देंगी। इस राशि से मध्यम और लघु सिंचाई, जल आपूर्ति प्रबंध और अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण योजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह राशि देश के उन 100 जिलों में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवासियों की जनसंख्या अधिक है, सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों को दी जायेगी।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की दशा सुधारने के लिए चार विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है। पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995-96 में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए दस लाख मकान बनाने की भी एक योजना मंजूर की है। इस समय इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना उससे अलग है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास अपने रहने का मकान नहीं होता। वह किसी तरह छप्पर बनाकर अपनी गुजर बसर करते हैं। आवास के मामले में तो सम्पन्न वर्गों के कुछ लोगों को छोड़ लगभग सभी ग्रामीणों की स्थिति एक-सी है, लेकिन अनुसूचित जातियों जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों की स्थिति विशेष रूप से दयनीय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। वित्त मंत्री ने दस लाख मकानों के निर्माण की व्यवस्था करके इस स्थिति को बदलने की महत्वपूर्ण शुरुआत की है।

वृद्धावस्था पेंशन

वित्त मंत्री की इस विशेष योजना के अंतर्गत वृद्धों और कमजोर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के वर्ग के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 75 रुपये प्रतिमाह की राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। इसी योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य आय अर्जक (कमाई करने वाले) की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 5000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसी योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल के लिए पोषाहार देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 1 करोड़ 40 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसमें एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं होंगी। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जरिए लागू की जाएगी। सरकार इस योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर रही है।

भारत जैसे गरीबी से ग्रस्त देश में समाज के कुछ वर्गों के लिए 10 लाख मकानों का निर्माण, वृद्धावस्था में 75 रुपये प्रतिमाह पेंशन और गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में कुछ समय तक पोषाहार देने से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जायेगा। लेकिन सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह गरीबों के कल्याण की योजनाओं को महत्व देती है और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती है।

गरीबों को बीमा कवच

बजट प्रस्तावों में जीवन बीमा निगम की एक नई सामूहिक जीवन बीमा योजना का भी प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत 70 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देने पर 5,000 रुपये का बीमा कवच प्रदान किया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए राज्य और केन्द्र सरकार प्रीमियम का 25-25 प्रतिशत देंगी। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम यानी 70 रुपये प्रतिवर्ष बीमा कराने वाला व्यक्ति स्वयं प्रदान करेगा। इस योजना का लाभ प्रत्येक गरीब परिवार में एक ही सदस्य को मिलेगा। परिवार के अन्य सदस्यों को पूरा प्रीमियम जो शायद 140 रुपये होगा, देना होगा।

स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन

केन्द्र सरकार स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने की चरणबद्ध योजना में भागीदार बनाना चाहती है। इस समय कुछ राज्य सरकारों द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। कुछ राज्यों ने साधनों, दक्ष जनशक्ति आदि के अभाव में दोपहर के भोजन की योजना को बन्द कर दिया है। देश के खाद्यान्न भंडारों में इस समय पर्याप्त अनाज है। वित्त मंत्री इस बारे में समस्त बाधाओं को दूर करने के बाद इस योजना को इस वित्त वर्ष में राज्यों के सहयोग से लागू करना चाहते हैं।

बजट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्त वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपये देने की भी व्यवस्था है। यह राशि व्यापारिक बैंकों द्वारा आयोग को ऋण के रूप में दी जाएगी। इससे आयोग को पूंजी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह ग्रामीण क्षेत्रों में नई लाभकारी योजनाएं शुरू कर सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हस्त शिल्प तथा ग्राम शिल्प को बढ़ावा मिलेगा।

22, मैत्री एपार्टमेन्ट्स,
ए/3, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली

नई आर्थिक नीति और सहकारिता

✍प्रो. उमरावमल शाह

देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार, स्थायित्व और प्रगति लाने हेतु वर्ष 1991 में "नई आर्थिक नीति" की घोषणा हुई जिसका मुख्य केन्द्र विन्दु "आर्थिक उदारीकरण" के रूप में उभर कर आया है। नई आर्थिक नीतियां एक ओर जहां परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में तकनीकी एव वित्तीय पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली मानी गई हैं वहीं दूसरी ओर इन्हें वित्त व्यवस्था में सुधार लाने का प्रभावी कदम भी समझा गया। ऐसा माना जा रहा है कि उन्मुक्त आर्थिक व्यवस्था और उदारीकरण की नीति से देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। इसी नीति के अन्तर्गत यह भी प्रयास किया जा रहा है कि समाज का गरीब तबका आर्थिक दृष्टि से कमजोर न रहे इसलिए न केवल सतर्कता बल्कि ठोस प्रयासों की आवश्यकता को भी महसूस किया जा रहा है। यहीं सहकारिता की परिवर्तित भूमिका और संस्थागत प्रयास के रूप में सार्थकता उजागर होती है।

संस्थागत प्रयास की अपरिहार्यता

नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जीवन की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए सामूहिक प्रयास अर्थात सहकारिता का विकास आवश्यक है। अभी तक किये गये आर्थिक विकास के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के आर्थिक विकास से गांव का छोटा किसान या उत्पादक सक्षम नहीं हो पाता है और वह विकास की धारा में पीछे छूट जाता है जबकि कुछ बड़े किसान लाभान्वित होते हैं। आज गांव में पूंजी, तकनीकी ज्ञान, संगठन, बौद्धिक स्तर तथा नैतिकता की जो स्थिति है उसके लिए भी सहयोग यानी सहकारिता की आवश्यकता है। यदि हमें गांवों के सभी वर्गों को विकास का लाभ पहुंचाना है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो संस्थागत प्रयासों को बढ़ावा देना होगा।

इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में सहकारी समितियों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे संरक्षणवादी दृष्टिकोण छोड़ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था में जीना सीखें। इसके लिए सहकारी समितियों को प्रत्येक स्तर पर अपनी कमियों को न केवल दूर करना होगा वल्कि अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाना होगा।

सहकारी समितियों की समस्याएं

आज सहकारी समितियां जिन प्रमुख समस्याओं से ग्रसित हैं, वे इस प्रकार हैं :-

- पूंजी के लिए सरकार पर अत्यधिक निर्भर रहना।
- कार्यकलापों में शासकीय पूंजी का आधिपत्य। इस कारण इनकी स्वायत्ता प्रभावित होती है।
- समितियों की प्रवन्ध व्यवस्था में सदस्यों के योगदान का अभाव।
- अधिकांश समितियों की अनार्थिक व्यावसायिक स्थिति का होना।
- साधनों के रख-रखाव में निरन्तर कमी।
- प्राथमिक ग्रामीण साख समितियों के पुराने ऋणों में सतत वृद्धि।
- व्यावसायिक प्रवन्धन का अभाव विशेषतया प्राथमिक समितियों एवं जिला स्तर की सहकारी समितियों में।
- समिति स्तर पर योजना एवं समन्वय का अभाव और कर्मचारियों में उत्प्रेरणा का तथा सदस्यों में शिक्षा का अभाव।
- कुशल, समर्पित एवं दलगत राजनीति से मुक्त नेतृत्व का अभाव।

उपरोक्त समस्याओं से ग्रसित होने के साथ-साथ सहकारी समितियों का इतना सरकारीकरण हो गया है कि इनके सारे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी सहायता और सरकारी आदेशों के द्वारा ही होते हैं और समितियां, सरकारी विभाग की शाखाओं की तरह ही अपनी कार्य संस्कृति में घिर गई हैं। इस प्रकार जहां उदारीकरण, स्वायत्तता व स्फूर्ति की आवश्यकता है, वहां लालफीताशाही, केन्द्रीयकरण व भय कार्य प्रणाली के अंग वन गये हैं। आर्थिक सुधारों में जहां निजी क्षेत्र को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, वहीं सहकारी क्षेत्र अभी भी अतिनियमन एवं अतिप्रशासन के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। सहकारी कानून में अविलम्ब बदलाव होना चाहिए ताकि वे स्वचालित, स्वनियंत्रित और जनतांत्रिक संस्थाओं के रूप में उभर कर कार्य कर सकें।

कार्यप्रणाली में परिवर्तन आवश्यक

अब सहकारी समितियों को स्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था में अपने कार्य कलापों को चलाना है। अतः वे इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपना स्थान तभी बना पाएंगी जब वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त होने के साथ-साथ गुणवत्ता और उत्पादकता में भी श्रेष्ठता प्राप्त करने की स्थिति में हों तथा प्रबन्धन कुशलता में किसी अन्य क्षेत्र के उपक्रमों से पीछे न रहे। इस प्रकार की कार्यक्षमता विकसित करने हेतु प्रत्येक स्तर की सहकारी समिति के लिए निम्न कदम आवश्यक हैं :-

1. सहकारिता आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रतिस्पर्धात्मक और बाजारोन्मुख अर्थ व्यवस्था में निष्क्रिय, शिथिल और कमजोर समितियों का कोई स्थान नहीं है और ऐसी समितियों को समाप्त कर देना ही उचित होगा।

2. प्रत्येक सहकारी समिति को एक सफल और लाभप्रद व्यावसायिक इकाई के रूप में अपने कार्यकलापों को चलाना होगा और ऐसी कार्य योजना बनानी होगी जिससे कि उसके व्यवसाय में सतत बढ़ोतरी हो और वह लाभार्जन कर आत्मनिर्भर बनें। जहां सरकारी सहायता प्राप्त होती है तो उसका सदुपयोग इनकी प्राथमिकता होनी चाहिये।

3. सहकारी समितियों को अपने प्रबन्धन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे ताकि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सहकारी इकाइयां अपनी प्रबन्धन कुशलता से सफलता अर्जित कर सकें। इसके लिये समितियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि सहकारी प्रबन्ध में कुशल, प्रशिक्षित तथा इच्छुक व्यक्तियों को ही जोड़ा जाए।

4. प्रत्येक स्तर पर जहां एक ओर सहकारी समितियों को अपने सदस्यों का विश्वास अर्जित करने का सतत् प्रयास करना होगा और उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी, वहीं दूसरी ओर सदस्यों को अपने दायित्व के प्रति जागरूक होना होगा। बिना सदस्यों की सजगता और सहयोग के सहकारी संस्थाओं की सफलता असंभव सी है।

5. सहकारी समितियों को ''पारस्परिकता'' के सिद्धान्त को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना होगा जिससे कि विभिन्न स्तर पर गठित समितियां एक दूसरे की पूरक संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें।

आर्थिक उदारीकरण और सहकारी व्यवस्था

सहकारिता विश्व की समस्त प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं तथा राजनैतिक विचारधाराओं में विकसित हुई है। विकास के लिए इसे किसी एक प्रकार की आर्थिक विचारधारा से जोड़ना इसके दर्शनशास्त्र के विपरीत होगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण सहकारिता के विकास के लिए चुनौती है। विभिन्न देशों में, विशेषतया यूरोप में और भारत में भी सहकारिता की उपलब्धियों ने यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि सहकारिता उच्च कोटि की गुणवत्ता, उत्पादकता और व्यावसायिक प्रबन्ध व्यवस्था से शिखर स्थान प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि सहकारिता एक संस्थागत प्रयास के रूप में भारत के शत प्रतिशत गांवों में अपना स्थान बना पाई है। आज देश की लगभग 3.5 लाख समितियों का लगभग 65.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पर प्रभाव है। इसी प्रकार लगभग 70,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी से सहकारी समितियां आज भी बैंकिंग क्षेत्र में अन्य संस्थागत प्रयासों के बावजूद लगभग 50 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास हेतु साख उपलब्ध करा रही हैं। देश में शक्कर का 60 प्रतिशत उत्पादन सहकारी क्षेत्र कर रहा है। देश में उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में भी सहकारी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23 प्रतिशत और 34 प्रतिशत है। देश में लगभग 16.4 प्रतिशत सूत का उत्पादन सहकारी क्षेत्र में है और 58 प्रतिशत हथकरघे सहकारी क्षेत्र में हैं जिनसे अधिकांशतः कमजोर वर्ग जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लाने में सहकारी व्यवस्था का योगदान अभूतपूर्व है। आवश्यकता है तो बस यही है कि सरकार सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप बन्द करे और सहकारी समितियों के लिये स्पष्ट नीति निर्धारित कर उन्मुक्त वातावरण प्रदान करे जिससे कि ये समितियां सदस्यों द्वारा निर्मित और नियंत्रित हों और संशोधित कानून-कायदे इनके जनतांत्रिक स्वरूप को विकसित करने में सहायक हों ताकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी सहकारी संस्थाएं अर्थ व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर अपने अस्तित्व और महत्ता को बरकरार रख सकें।

''शाह निवास'',
धानमण्डी,
उदयपुर -313001 (राजस्थान)

1995-96 के आम बजट में ग्रामीण विकास की प्राथमिकताएं

✍ डा० गणेश कुमार पाठक
प्राध्यापक, भूगोल विभाग
महाविद्यालय दूबेछपरा, बलिया (उ० प्र०)

अपना देश जब से स्वतंत्र हुआ उसके बाद से विकास की प्रत्येक योजना में ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाती रही है। इसी क्रम में यह नया आम बजट ग्रामीण विकास के लिए वरदान सिद्ध होगा, ऐसा हमारे वित्त मंत्री का दावा है और विशेषज्ञों की राय में भी यह बजट गरीबों के लिए विशेष राहत देने वाला होगा।

आम बजट 1995-96 में ऐसे कार्यक्रमों को जो सीधे निर्धनों को लाभ पहुंचाते हैं, प्राथमिकता देने की नीति के अनुरूप केन्द्रीय आयोजना को दी जाने वाली बजटीय सहायता को ग्रामीण विकास, रोजगार और निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों पर केन्द्रित किया गया है। पिछले बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय को वर्ष 1992-93 में यानी दो वर्ष पहले रखी गई 3100 करोड़ रुपये की बजट राशि को दुगुने से भी अधिक बढ़ाकर 7010 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 1995-96 के लिए इस आवंटन में और वृद्धि कर 7700 करोड़ रुपये किया गया है। इससे ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के 30,000 करोड़ रुपये की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने में हम सफल होंगे। अनुमान है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1991-92 में लगभग 80 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार जुटाया गया। 1995-96 में इन कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के 129 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का अनुमान है।

वर्ष 1995-96 की वार्षिक आयोजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता सुधारने और अधिक मूल्य प्रदान करने वाली फार्म स्कीमों आदि के द्वारा कृषि पद्धतियों में विविधता लाने पर बल दिया गया है। ऋण संबंधी जरूरतें, विस्तार संबंधी सहायता, विपणन एवं प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु भी इस बजट में बल प्रदान किया गया है। सहकारिता के माध्यम से कृषि ऋण का प्रवाह वर्ष 1994-95 में लगभग 12,000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1995-96 में 14,000 करोड़ रुपये करने का प्रावधान रखा गया है।

महिलाओं के लिए 220 सहकारी समितियों और कमजोर वर्गों के लिए 330 सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। एकीकृत कीट प्रबंध, जो पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल है, का विस्तार किया जायेगा एवं 50,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 1500 प्रशिक्षण सह प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है। गहन मत्स्य पालन के अंतर्गत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करने का अनुमान है।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए शैक्षणिक अवसरों का प्रसार करने हेतु वर्ष 1995-96 में शिक्षा के लिए आयोजना परिव्यय 1994-95 में 1541 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 1825 करोड़ रुपये कर दिया गया है। महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को विशेष रूप से सुधारने के लिए बुनियादी शिक्षा के लिए परिव्यय में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि कर 651 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह आपरेशन ब्लैकबोर्ड के लिए आवंटन में 1995-96 में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के लिए संयुक्त आयोजना परिव्यय में वृद्धि कर 1995-96 के लिए 2,251 करोड़ रुपये किया गया है। 5,435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए 160 करोड़ रुपये और 9,577 ग्रामीण उपकेंद्रों के अनुरक्षण के लिए 190 करोड़ रुपये सहित ग्रामीण क्षेत्रों से

सीधे संबंध रखने वाले परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 726 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 1995-96 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को फास्फेटी एवं पोटाशी उर्वरकों की सस्ती आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार कुल प्रभावी उर्वरक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 5900 करोड़ रुपये किया जा रहा है। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

वर्ष 1995-96 में आवास संबंधी लक्ष्य को दुगुने से भी अधिक करके 10 लाख एकक निर्धारित किया गया है। इस तरह की पहल से आगामी 5 वर्षों में 50 लाख ग्रामीण आवासीय एककों का निर्माण संभव हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए योजनाएं

वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने गरीबों के लाभ के लिए चार कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

गांवों में गरीबों की आवास समस्या से निपटने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत आवास लक्ष्य को ढाई गुना किया जायेगा। वर्ष 1994-95 में चार लाख मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य था जिसे बढ़ाकर 1995-96 में 10 लाख कर दिया गया है।

दूसरे कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि दोपहर के भोजन की योजना में केन्द्र चरणबद्ध ढंग से भागीदारी निभायेगा। इस पर अमल के लिए एक समिति स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना बनायेगी।

दो अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि के लिए सामाजिक सहायता योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा अमल के लिएं जीवन बीमा निगम की सामूहिक जीवन बीमा योजना है।

बजट प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत 70 रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम पर 5000 रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गरीब परिवारों के लिए प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि केंद्र द्वारा दी जाएगी और इतनी ही राशि संबंधित राज्य सरकार देगी। लाभार्थी को शेष 50 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। इस आर्थिक सहायता को प्रत्येक निर्धन परिवार के लिए एक पालिसी तक सीमित रखा जायेगा।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने एक "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना" का प्रस्ताव किया है। इस योजना में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 75 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है। योजना में गरीब परिवार की रोजी रोटी में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 5000 रुपये की एकमुश्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।

गरीब परिवारों की महिलाओं के पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव से पहले एवं बाद में पोषाहार देने का भी प्रावधान रखा गया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा चलाई जायेगी। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है। इस योजना का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लगभग एक करोड़ 40 लाख लोगों को मिल सकेगा जिनमें से लगभग तीन चौथाई महिलाएं होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने एवं आधारभूत परियोजना समय से पूरा करने के लिए सरकार ने विशेष ध्यान देने का निर्णय किया है। ग्रामीण आधारभूत संरचनात्मक विकास निधि नामक विशेष कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत स्थापित किया जायेगा। कोष में 20 अरब रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस राशि को राज्य सरकारों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को ग्रामीण परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। इन परियोजनाओं में मध्यम एवं लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल प्रबंध एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। इस कोष से ऋण देते समय ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो कम से कम समय में पूरी हो सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अधिक साधन जुटाए जा सकें।

इस नये बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,251 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए 5,400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। विकलांगों के लिए करों में विशेष छूट दी गयी है।

खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 1995-96 के बजट में एक नई योजना की घोषणा की है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग कंसार्टियम के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। आयोग यह राशि सीधे अथवा राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के जरिए खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को उधार के रूप में उपलब्ध करायेगा। इन ऋणों के लिए गारंटी केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जायेगी।

वित्त मंत्री के शब्दों में "अपने देश एवं साथ ही साथ पूरे विश्व के अनुभव से यह परिलक्षित होता है कि तीव्र और व्यापक आधार पर विकास ही गरीबी हटाने की अचूक औषधि है। हमारे आर्थिक सुधारों का लक्ष्य वस्तुतः इसी उद्देश्य की प्राप्ति है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि आम बजट 1995-96 ग्रामीण विकास के लिए निश्चित ही वरदान सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने इसे आर्थिक सुधारों का हिस्सा और विकासोन्मुख बताया है।

(पृष्ठ 5 का शेष)

वर्ष 1995-96 का ग्रामोन्मुखी बजट...

बुनियादी शिक्षा महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है। नए बजट में बुनियादी शिक्षा के लिए परिव्यय 24.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। गांवों में शिक्षा के प्रसार के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत एक सौ बच्चों से अधिक संख्या वाले देश के बीस हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में एक तीसरे अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी । इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा राशि में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति के लिए राशि 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये कर दी गई है।

अगले वर्ष के दौरान समग्र साक्षरता अभियान तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम में देश के 312 अर्थात देश के दो तिहाई जिले शामिल किए जायेंगे और 64 लाख बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जायेगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 386 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे। इन कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला साक्षरता समितियों को दिए जाने वाले दान की शत प्रतिशत राशि पर आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रमों का भी सीधा असर ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु एवं प्रसवकालीन मृत्यु की दर में कमी के रूप में दिखाई देगा। इसके लिए बजट खर्च को पिछले वर्ष के दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,251 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 139 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस शताब्दी के अंत तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए इस वर्ष 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अंधता निवारण कार्यक्रम के लिए 72 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिनसे 24 लाख लोगों के मोतियाबिन्द के आपरेशन किए जा सकेंगे।

बी-7, प्रेस एन्कलेव,
साकेत, नई दिल्ली-110017

कहानी

भविष्यवाणी

डा० हरिकृष्ण देवसरे

आप शायद बंसी काका को जानते होंगे। अरे, वही बंसी काका जो पटवारी का काम करते हैं। अब आपको याद आया होगा कि बंसी काका कौन हैं? सच पूछिए तो बंसी काका, किसानों के लिए भगवान हैं। बस, नक्शे पर उन्होंने लकीर क्या खींची–समझो आपका भाग्य लिख दिया। और सचमुच, बंसी काका ने अपने खाते में आपका जो भाग्य लिख दिया, सो लिख दिया। उसे दुनिया की कोई अदालत क्या, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। इसीलिए लोग भगवान से उतना नहीं डरते, जितना बंसी काका से। बंसी काका अगर किसी गली से गुजर जायें तो लोग रास्ता छोड़कर उनको नमस्कार करते हैं। अगर गांव की बस्ती से निकलें तो बड़े-बूढ़े तक उठकर खड़े हो जाते हैं और चाय-पानी के लिए पूछते हैं। गांव में किसी जिला मजिस्ट्रेट का वो रुतबा नहीं है, जो बंसी काका का है।

पिछले दिनों उन्हीं बंसी काका को अचानक न जाने क्या हो गया कि खुद काकी भी समझ नहीं सकी। हुआ यह कि एक दिन बंसी काका शहर गए। लौटकर आए तो चेहरा उदास। न कुछ बोलें-चालें और न किसी की सुनें। बस जैसे एकदम गुमसुम हो गए। काकी ने एक रोज, दो रोज, तीन रोज बरदाश्त किया। फिर वो भी झल्ला गयीं।

"अरे कुछ बोलो तो सही! क्या हुआ? इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठे रहते हो?" काकी बोलीं।

लेकिन बंसी काका गुमसुम बैठे रहे। बात धीरे-धीरे गांव में फैलने लगी। पास-पड़ोस के लोग आए। उन्होंने भी बंसी काका से बहुत पूछा तो बंसी काका बड़ी मुश्किल से इतना ही बोले–"कुछ नहीं.... अब क्या..."

इन शब्दों की पहेली कोई समझ न सका। हां, सभी लोग अटकलें जरूर लगाने लगे।

एक ने कहा, "लगता है, कुछ रुपये पैसे का चक्कर है। या तो बड़ी रकम चोरी चली गयी है। या इन्हें किसी ने ठग लिया है।"

पर काकी ने इसका खंडन किया–"नहीं भैया! ये माना कि तुम्हारे काका कुछ लेकर काम करते हैं, पर न कभी इतनी बड़ी रकम किसी ने दी, और न घर पर ही कभी जमा हो पाई।"

"तो क्या, किसी धंधे में घाटा हुआ है?" दूसरे ने पूछा।

"नौकरी ही से फुरसत कहां मिलती है, जो धंधा करेंगे?" काकी ने जवाब दिया।

"फसल तो ठीक ठाक है न? इस बार तो गांव के सारे खेत सोना उगल रहे हैं।" एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा।

"हां, फसल भी पककर तैयार है –" काकी ने बताया।

"तब तो जरूर किसी भूत-प्रेत का चक्कर है।" किसी ने फुसफुसाकर कहा।

लेकिन काकी इन बातों को मानने के लिए तैयार न थीं। कोई एक सप्ताह इसी तरह बीत गया। खाने-पीने को उनका मन न करता। काकी बहुत जिद करती तो एक-दो कौर खा लेते। काकी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन-सी बात है जिसकी चिंता बंसी काका को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उनका चेहरा कमजोर और पीला पड़ गया था। चेहरे पर हर समय खेलती मुस्कान गायब हो गयी थी।

इस बीच काकी ने अपने इकलौते बेटे श्यामू को खत डलवा दिया था। पिता की बीमारी का हाल सुनकर वह दौड़ा आया उसने पहला काम यह किया कि वैद्य जी को बुला लाया। उन्होंने

नब्ज देखी। फिर बोले– "भई, इनको रोग तो कोई नहीं है। बस चिंता ही इनका रोग है। उसी से सारी तकलीफें हैं। इनकी चिंता दूर करो।" फिर वह जाते-जाते कुछ दवा दे गए ताकि शरीर को थोड़ी ताकत मिले।

गांव में श्यामू के कुछ दोस्त थे। श्यामू जिस बात के लिए परेशान था, उसके हिस्सेदार वे भी बन गए थे। श्यामू ने पिताजी से बहुत पूछा पर उन्होंने कुछ भी न बताया। श्यामू के दोस्त भी तरह-तरह की अटकलें लगाते और सोचते कि बंसी काका का इलाज कैसे किया जाए।

आखिर कुछ दिन और बीते तो सबने कहा कि ओझा से झाड़ फूंक करा ही दो। मजबूर होकर काकी ने इजाजत दे दी। ओझा आया। लेकिन उसे देखते ही काका बिगड़ गए।

"इसको किसने बुलाया? क्या हुआ है मुझे जो इस ढोंगी को ले आए। भगाओ इसे..."

काकी को लगा कि काका यों तो ठीक है। बस लगता है कि किसी फिकर को दिल से लगा लिया है।

ओझा ने बहुत समझाया कि वो भूत, मुझे देखते ही डर गया है और इसीलिए भगा रहा है। आप उसकी बातों में न आइए, मुझे झाड़ फूंक करने दीजिए। पर श्यामू को भी लगा कि बात किसी गहरी चिंता की है। सो उसने दो-चार रुपये देकर ओझा को भगा दिया।

ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे थे, बंसी काका का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। वह रात-भर यूं ही बैठे रहते। कभी दो-चार घंटे सोते तो न जाने क्या-क्या बड़बड़ाते रहते। उनके पलंग के सामने एक कैलेंडर टंगा था। बस उसी को देखते रहते।

उस दिन श्यामू और उसके कुछ दोस्त शहर गए कि किसी अच्छे डाक्टर से बात की जाए। फिर उसके पास बंसी काका को इलाज के लिए ले चलेंगे।

बंसी काका कैलेंडर देखकर उंगलियों पर कुछ गिन रहे थे। तभी काकी आ गई।

"क्या हिसाब-किताब कर रहे हो?" काकी ने पूछा।

"श्यामू की मां! मेरे पास बैठो।" बंसी काका ने कहा।

काकी बैठ गई।

"देखो! इस कमरे के चारों कोनो पर सोना गड़ा है। तिजोरी में नकदी काफी है। मेरा लेन-देन किसी से नहीं है। श्यामू को खूब पढ़ाना....डाक्टर बनाना....

"कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहां जा रहे हो जो मुझ से सब बता रहे हो?" काकी ने थोड़ा झल्लाकर कहा।

काका फिर चुप हो गए। काकी ने बहुतेरा पूछा पर कुछ न बोले। फिर न जाने क्या सोचते-सोचते पूछा-

"पूर्णमासी कल है या परसों? पंडित से पूछकर बताना।"

"क्यों? सत्यनारायण की कथा सुननी है क्या?"

"नहीं....यूं ही....." काका ने टालते हुए कहा।

काकी की कुछ समझ में न आता था कि इनके मन पर किस चिन्ता का बोझ है।

उधर श्यामू एक अच्छे डाक्टर से मिला। उसे सारी बात बतायी।

डाक्टर ने कहा - "जहां तक मुझे लगता है उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। चूंकि न कोई दुर्घटना हुई, न किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, न ही घाटे या नुकसान की घटना हुई तो एक ही संभावना लगती है कि उन्हें या तो किसी न हत्या की धमकी दी है या वे किसी से मृत्यु की बात सुनकर डर गए हैं। कभी-कभी लोग ऐसा सदमा किसी से कह भी नहीं पाते। फिर भी आप उन्हें ले आइए, मैं कोशिश करूंगा कि वे ठीक हो जाएं।"

डाक्टर के यहां से उठकर श्यामू और उसके दोस्त बाजार आए। इधर-उधर घूमते हुए उन्होंने कचहरी के पास एक ज्योतिषी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा किसी का हाथ देख रहा था। श्यामू के दोस्त हीरा ने कहा - "यार, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं.... चलो ज्योतिषी से पूछते हैं।"

"छोड़ यार! तू भी किसके चक्कर में पड़ रहा है।" श्यामू

ने कहा। पर हीरा न माना। उसके साथ-साथ श्यामू और बाकी दोस्त भी गए।

"ज्योतिषी जी! मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूं।"

"कितने वाला हाथ दिखाना है? ग्यारह का, इक्कीस का या इक्यावन का?"

"ये रेट वाली बात समझ में नहीं आयी?" हीरा ने पूछा।

"भइया, जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा।"

कहकर ज्योतिषी ही-ही करके हंसने लगा।

"मुझे तो नौकरी के बारे में पूछना है।"

"तो इक्कीस रुपये लगेंगे..."

हीरा मान गया। ज्योतिषी ने हाथ देखा तो बोला - "बस एक महीने में काम हुआ समझो।"

वहां खड़े चंदर के मन में भी उत्सुकता हुई। वह बोला - "मेरे पास ग्यारह रुपये हैं। मुझे भी भविष्य बताइए न।"

"हां... हां... लाओ हाथ!" कहकर ज्योतिषी ने देखा और बोला-"बेटा, तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है। बस अगली पूर्णमासी तक समझो। तुम ऐसा करो कि पूजापाठ करा लो और ये तांत्रिक अंगूठी पहन लो। सिर्फ एक सौ एक रुपये का खर्च है।

"क्या बकते हो..." हाथ झटककर चंदर बोला

"तू भगवान है क्या जो जन्म और मौत की बात कहता है।"

"ग्यारह रुपये में तो बस यही बताऊंगा।" कहकर वह ज्योतिषी ही-ही करके हंसने लगा।

चंदर भी हंसकर बोला - "तो ग्यारह रुपये पूर्णमासी को ही आकर लेना.. झूठा कहीं का... चलो यार..."

"अरे भइया... तुम इक्कीस तो देते जाओ...." ज्योतिषी ने पुकार कर कहा। पर तब तक वे सब अपनी साइकिलों पर आगे जा चुके थे।

उस दिन जब श्यामू घर लौटकर आया तो मां ने बताया कि आज तेरे पिताजी ने इतने दिनों बाद तो बातें की... पर अजीब बहकी-बहकी। न जाने क्यों वे पूछ रहे थे कि पूर्णमासी कब है।

इतना सुनते ही श्यामू का माथा ठनका। उसने पूछा - "मां! जिस दिन से पिताजी का यह हाल हुआ है, उस दिन क्या ये शहर गए थे।"

"हां गए तो थे! पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है!" मां ने पूछा।

"कुछ नहीं! कल बताऊंगा।" श्यामू ने कहा।

अगले दिन सुबह ही श्यामू शहर चला गया।

श्यामू शहर में सीधा उस ज्योतिषी के पास पहुंचा।

"क्यों ज्योतिषी महाराज! कोई बीस-पच्चीस दिन पहले कोई पटवारी जी आपको हाथ दिखाने आए थे?"

"भैया! यहां तो रोज ही पता नहीं कौन-कौन आता है। मुझे तो कुछ याद नहीं। पर बात क्या है?"

"अरे किसी ज्योतिषी ने उन्हें बता दिया है कि उनकी मृत्यु निकट है..."

"ओह! तब तो जरूर उन पर "काल-सर्प" योग आने वाला होगा।"

"हां! मुझे भी यही डर है! आप उससे बचाव का कोई उपाय बताइए।"

"उसके लिए तो पूजा-पाठ करना होगा... ये तांत्रिक अंगूठी पहनानी होगी.... तभी उससे बचाव हो पायेगा...."

"आप मेरे साथ चलिए.... खर्चे की फिकर नहीं है... आपको मुंह मांगा रुपया मिलेगा... पर आप चलकर पूजा-पाठ कीजिए और उन्हें अंगूठी पहनाइए..."

"देखो भाई पूरे पांच सौ एक रुपये का खर्चा है... सोच लो..."

"दूंगा पूरे पांच सौ एक दूंगा..."

श्यामू ने जेब से सौ-सौ के नोट निकाल कर दिखाए।

"तो चलो भैया... जल्दी करो... ऐसा न हो कि काल-सर्प योग

आ जाए और हमें देर हो जाए... तुम तो मुझे अपनी साईकिल के पीछे ही बिठा ले चलो..." ज्योतिषी ने जल्दी-जल्दी अपना पोथी-पत्रा समेटते हुए कहा।

श्यामू लौटा तो उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि श्यामू उसी ज्योतिषी को ले आया है जिससे वे मिले थे, तो बात कुछ समझे नहीं।

श्यामू ज्योतिषी जी को लेकर घर पहुंचा। पीछे-पीछे उसके दोस्त और गांव के कुछ लोग भी आ गए।

श्यामू ज्यों ही ज्योतिषी जी को लेकर बंसी काका के कमरे में गया कि उन्हें देखते ही बंसी काका बोल उठे, "अरे ज्योतिषी जी आप? यहां?"

और श्यामू ने पलक झपकते सारी बात समझ ली।

"पिताजी! कोई बीस पच्चीस दिन पहले जब आप शहर गए थे तो इन ज्योतिषी जी से मिले थे?"

"हां... बेटा मिला था..."

आपने इनको ग्यारह रुपये दिये थे और इन्होंने आपको बताया था कि अगली पूर्णमासी तक आपका स्वर्गवास हो जायेगा।"

"हां... बेटा... उसी की फिकर में..."

"क्यों ज्योतिषी जी! ठीक बात है न! अब तो आपने पटवारी श्री बंसी लाल को पहचान लिया न!" श्यामू की कड़क आवाज गूंजी तो ज्योतिषी ने समझ लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है...

"भैया... वो तो ठीक है...पर तुम तो पूजापाठ के लिए..."

"ज्योतिषी जी... पूजा तो हम आपकी करेंगे... लात-घूंसों से. ... समझे... बोलो.. सच-सच बोलो... तुमने क्या सच कहा था कि इनकी मृत्यु पूर्णमासी तक हो जायेगी।"

ज्योतिषी समझ गया कि अब यहां उसकी एक न चलेगी। यदि उसने सच न बोला तो खैर नहीं है।

"अरे भैया! मैं गरीब आदमी हूं। पेट पालने के लिए सब करता हूं। दरअसल मृत्यु की बात बताने से लोग डर जाते हैं... फिर मुझसे बचाव का उपाय पूछते हैं... तब मैं पूजा पाठ के नाम पर कुछ ज्यादा रुपये ऐंठ लेता हूं.... पर भैया... मेरी बातें तो सब झूठी ही होती हैं... मुझे माफ कर दो..."

"क्या? तुमने झूठ बोला था?" आश्चर्य से बंसी काका ने कहा।

गांव के सभी लोग उस ज्योतिषी का तमाशा देख रहे थे।

"और पिताजी! आपने इसकी बात पर तो विश्वास कर लिया पर हम सबसे यह बात बताई तक नहीं। आपका यह अंधविश्वास तो आपकी जान लेने वाला था। अच्छा हुआ कि अचानक मुझे लगा कि कहीं आप इस ज्योतिषी के बहकावे में तो नहीं आ गए।"

"वाह, बंसी काका! तुम कब से अंधविश्वास की बातों में फंसने लगे!" एक बुजुर्ग ने पूछा।

"कुछ नहीं भैया! मेरी बुद्धि खराब हो गयी थी जो इसको हाथ दिखा दिया। ग्यारह रुपये लेकर इसने जो कुछ बताया, उससे मन इतना घबराया कि बस मैं सीधे गांव लौट आया और तब से यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। भला हो तेरा श्यामू बेटा! तूने मेरी आंखें खोल दीं।"

"लेकिन मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूं कि इन सड़क छाप ज्योतिषियों के चक्कर में न फंसें। अंधविश्वास आदमी को अंधा बना देता है और तब वह किसी भी कुएं या खाई में गिर सकता है। समय रहते आप जाग गए... ये अच्छा हुआ।"

"यह सब श्यामू भैया के कारण हुआ है।" हीरा ने कहा।

"हे ज्योतिषी महाराज, अब आप चुपचाप खिसक जाइए, इसी में आपकी भलाई है, वरना गांव के लड़के आपकी पिटाई कर देंगे" हीरा ने कहा "और हां, अब यह ठगना और लोगों को अंधविश्वास का पाठ पढ़ाना कल से बंद कर दीजिएगा... वरना... अपनी जिंदगी का ज्योतिष खुद देख लीजिएगा।"

सिर नीचा किए हुए ज्योतिषी महाराज तुरंत ही वहां से खिसक गए।

"हमारे लोग कितने अंधविश्वासी हैं कि उस ज्योतिषी से अपना भाग्य पूछते हैं - जिसे स्वयं अपना भाग्य नहीं मालूम, जो

(शेष पृष्ठ 30 पर)

नई पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां और आवश्यक सावधानियां

डा. उमेश चन्द्र*

भारत गांवों का देश है जहां गांवों की संख्या लगभग 5 लाख 80 हजार है। इन गांवों में बसने वाले लोगों की संख्या भी शहरी लोगों की तुलना में लगभग तीन गुनी अर्थात 23 करोड़ के विपरीत 67 करोड़ है। सभी आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित इन ग्रामवासियों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ पेयजल, सड़कें, संचार के साधन आदि अनेक सुख-सुविधाएं जुटाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अनेकानेक घोषणाएं और वायदे किए जाते रहे हैं। इन्हें अपने और अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और प्रशासन में भागीदारी उपलब्ध कराने हेतु नीतियां बनाने की बात कही जाती रही है। इन सभी घोपणाओं, वायदों और नीतियों के पीछे स्वतंत्रता के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना को साकार करने की भावना रही। इसी भावना के अनुरूप संविधान में गांवों के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए पंचायतों के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की नींव रखी गयी थी। संविधान में की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप विभिन्न राज्यों में देर-सवेर पंचायतों की स्थापना की गई। विहार और उत्तर प्रदेश में तो 1947 में ही पंचायतों के गठन हेतु अधिनियम पारित किए गये। 1960-61 तक लगभग सभी राज्यों ने अपने यहां पंचायतों की विधिवत स्थापना हेतु अधिनियम पारित किए। इस प्रकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इनकी संरचना और चुनाव आदि में अवश्य कुछ विभिन्नताएं रहीं जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में पंचायतों की तीन स्तरीय अर्थात ग्राम, ब्लाक और जिला स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई जवकि असम, हरियाणा, मणिपुर और पांडिचेरी आदि राज्यों में दो स्तरीय व्यवस्था लागू की गई। शेप कुछ राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, केरल, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ आदि में मात्र एक स्तरीय अर्थात ग्राम स्तर पर ही पंचायतों का गठन किया गया। लेकिन सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को साकार रूप प्रदान करने के प्रयास किए गये।

विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के साथ इन्हें गांवों के सम्पूर्ण विकास हेतु उत्तरदायी बनाया गया। गांवों की सफाई, विजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन, खेलकूद जैसे अनेक उत्तरदायित्व सौंपने के साथ-साथ उन्हें भूमि प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपे गये। इन दायित्वों के निवर्हन हेतु उन्हें विभिन्न स्रोतों अर्थात भवनों पर, वाजार-हाटों पर, सिंचाई पर, राजस्व पर, सिनेमा घरों पर, वाहनों पर, पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर, तालावों आदि पर कर लगाने के अधिकार भी दिए गये। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि न तो विभिन्न मदों पर तर्कपूर्ण कर लगाये जा सके और यदि कहीं-कहीं कर ठीक प्रकार से लग भी सके तो उनके एकत्रीकरण की समुचित व्यवस्था का अभाव रहा अथवा कठोरता के साथ उन्हें वसूलने की कार्यवाही संभवतया भविष्य में राजनैतिक हानि होने के भय से संभव नहीं हो सकी। परिणाम यह रहा कि पंचायतें वित्तीय संसाधनों के अभाव में अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं कर सकीं और शनैः शनैः वे अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगीं। ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था सुधारने और गामीण क्षेत्रों में रोजगारपरक योजनाएं चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1989 से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सीधे धन भी उपलब्ध कराया गया लेकिन कोई विशेप लाभ नहीं हुआ।

पंचायतों के खोये हुए अस्तित्व को अधिक शक्तियां और दायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से नवीन पंचायतीराज व्यवस्था विपयक संशोधन आवश्यक समझा गया। सम्पूर्ण देश में पंचायतों की संरचना में एकरूपता लाने और उन्हें ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी प्रभुता-सम्पन्न इकाई के रूप में पुनर्गठित करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया गया। इसी उद्देश्य से तत्कालीन सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विल संसद में पेश किया लेकिन वह पारित न हो सका। अन्ततः 73वें संविधान संशोधन के रूप में 24 अप्रैल, 1993 से नवीन पंचायतीराज विषयक संशोधन सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसमें

*संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ. प्र. कालाकांकर भवन, लखनऊ।

किए गए सभी प्रावधानों को लगभग सभी राज्यों ने अपने-अपने पंचायतीराज अधिनियमों में वांछित संशोधनों के माध्यमों से पिछले वर्ष ही सम्मिलित कर लिया। इन प्रावधानों में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर एक तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पदों में आरक्षण, इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण द्वारा इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, निष्पक्ष, सुनिश्चित और स्वतंत्र चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोगों का गठन, वित्तीय व्यवस्था के सुनिश्चितीकरण हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन, संरचनात्मक एकरूपता, निश्चित कार्यकाल, दायित्वों और अधिकारों का सुनिश्चितीकरण आदि प्रमुख हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु चुनाव भी सम्पन्न करा लिए गये हैं और कुछ राज्य तत्परता से उन्हें सम्पन्न कराकर नवीन पंचायतीराज व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर हैं। 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों द्वारा पूर्व से परिचालित अधिनियमों में जो संशोधन अथवा परिवर्तन किए गये हैं उनके वास्तविक अर्थों में क्रियान्वयन हेतु अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में पंचायतीराज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो विभिन्न राज्यों में कमोवेश एक ही प्रकार की होंगी। यदि इन बाधाओं अथवा चुनौतियों का समय पर आकलन कर सूझबूझ के साथ उपयोगी व्यावहारिक कदम उठाये जा सके तो निश्चित ही सफलता की संभावनाएं बलवती होंगी।

उक्त के संदर्भ में पहली चुनौती महिलाओं का क्रियात्मक योगदान सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर पहली बार कुल निर्धारित पदों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है अर्थात विभिन्न राज्यों में तीनों स्तरों पर कई लाख महिलाएं पंचायतों के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी हो सकेंगी। वर्तमान परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में जागरूक महिलाओं का स्वेच्छा से आगे आना सुनिश्चित करने हेतु श्रव्य-दृश्य साधनों, मीडिया और स्वयंसेवी संगठनों के सम्मिलित प्रयास द्वारा जागरूकता बढ़ाने हेतु भरपूर प्रचार किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर उन्हें शिक्षित किया जाना भी अत्यावश्यक है। चुनकर आने वाली महिलाओं के लिए गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था तुरन्त अनिवार्य होगी ताकि उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का बोध हो सके। केवल जागरूक, शिक्षित और उत्तरदायित्वपूर्ण महिलाएं ही पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में पदासीन हों इसके लिए जनजागरण अभियान द्वारा जागृति उत्पन्न करना आवश्यक है।

नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती पंचायतों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है जिनके अभाव में उन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन लगभग असंभव ही है। यद्यपि इसके लिए 73वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्थानुसार सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है लेकिन इनकी सिफारिशों के आधार पर वास्तविक रूप में पंचायतों को धन उपलब्ध कराने में अभी एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें अत्यधिक समय लगने की संभावना है साथ ही साथ क्या राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार की आय में से कटौती करके ही पंचायतों के लिए धन की व्यवस्था का सुझाव दे पायेंगे जबकि लगभग सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पहले से ही डांवाडोल है? यदि राज्य सरकार के बजट में से ही कटौती करके पंचायतों को धन उपलब्ध कराया गया तो इसके अच्छे परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती।

पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु दूसरी आशा पंचायतों के द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाकर पूर्ति करने से की जा सकती है लेकिन यह और भी दुष्कर कार्य है। इस सम्बन्ध में पंचायतों के पूर्व के अनुभवों पर यदि दृष्टिपात करें तो विदित होता है कि पंचायतें पूर्व में अपने इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकीं जबकि लगभग सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। हालांकि इन्हें वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा नियमित रूप से धन उपलब्ध कराना अथवा इन्हें अपने संसाधन स्वयं विकसित करने जैसी दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं होना अनिवार्य है। पंचायतों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु जो कराधान की व्यवस्था करनी होगी उसके लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि करों का बोझ निम्न आर्थिक-सामाजिक स्तर के लोगों पर न पड़े और यदि आवश्यक ही हो तो बहुत कम पड़े इसके लिए कर निर्धारण से पूर्व काफी सतर्कता बरतनी अनिवार्य है। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी कर वसूलने की उचित व्यवस्था के लिए करनी होगी जिससे कि लोग कर वंचना के लिए कोई रास्ता न निकाल सकें।

नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के क्रियान्वयन द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य होगा कि पंचायतों के लिए सुयोग्य और सक्रिय व्यक्ति सदस्य एवं सभापति के रूप में चुनकर के आए। वर्तमान राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में पंचायतों के विभिन्न स्तरों के लिए सदस्यों, प्रधानों, उपप्रधानों के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करा पाना तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुरूप यद्यपि सभी राज्यों में पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोगों का गठन कर लिया गया है लेकिन मात्र इनके गठित हो जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस चुनौती का सामना करने हेतु आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य सरकारें विधान के अन्तर्गत व्यवस्था करके यह सुनिश्चित करें कि अवांछित, संदिग्ध और विवादित व्यक्ति चुनाव मैदान में न आने पाएं। चुनावों में अनावश्यक धन के दुरुपयोग पर नियन्त्रण करना और भी अधिक आवश्यक होगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर चुनाव खर्च की सीमा तय करनी होगी और उसे लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। अशिक्षित और बड़े परिवार रखने वाले लोगों को भी चुनाव मैदान से वंचित रखने हेतु कानून में कुछ व्यवस्थाएं हो सकें तो इनका सामान्य जनता पर अच्छा प्रभाव होगा। सामान्य चुनावों के लिए प्रयुक्त होने वाले फोटो पहचान पत्रों का प्रयोग पंचायतों के चुनाव हेतु किया जाना भी उपयोगी होगा।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकांश राज्यों में पंचायतों पर पहले की तुलना में अब अधिक विभागों अथवा सेवाओं का दायित्व आ गया है जिनके निर्वहन हेतु उन्हें अधिक विभागों विशेषकर सभी विकास विभागों और उनके कर्मचारियों का न केवल सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य होगा वरन् उन पर नियन्त्रण भी रखना होगा। सम्बन्धित विभागों के कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन लाने अथवा नियन्त्रण में लाने में इन विभागों और कर्मचारियों के विरोध की प्रबल संभावना है जिसे चौथी महत्वपूर्ण चुनौती कहा जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो नवीन व्यवस्था के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बाधा आयेगी। इस समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई बीच का रास्ता ढूंढ़ना होगा जिसमें सरकारी कर्मचारियों के विरोध से बचा जा सके और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों में उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित विभागों के कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आपसी विचार-विमर्श के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को मार्ग प्रशस्त करना होगा और मध्यस्थता भी करनी होगी क्योंकि विकास कार्यों के सम्पादन के लिए योजनाओं के निर्माण और उनके संचालन में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नवीन अधिनियम के अनुसार पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर चुने हुए लोगों को सम्पूर्ण क्षेत्रीय विकास के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण और उनका संचालन करना होगा। इसके लिए उनमें सम्बन्धित कौशल और कार्यक्षमता विकसित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। सभी स्तरों के चुने हुए लोगों के लिए ससमय गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर पाना लगभग सभी राज्य सरकारों/पंचायतों के लिये पांचवीं चुनौती है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन पर्याप्त मात्रा में यह व्यवस्था कर पाने के लिए और प्रभावी कदम उठाने होंगे। केवल क्षेत्रीय ग्रामीण विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा इस चुनौती का सामना कर पाना सम्भव नहीं है। इसके लिए सभी विकास विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाकर ब्लाक, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आर्थिक योजनाओं/परियोजनाओं के निर्माण, उनके सफल क्रियान्वयन और प्रबन्धन, लेखों का रख-रखाव सम्बन्धित विभिन्न विभागों का संरचनात्मक स्वरूप, उनकी कार्य पद्धति आदि विषयों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना उपयोगी होगा।

नवीन पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जो सुखद कल्पना की गई है वह तभी साकार हो सकेगी जबकि पिछले 48 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का ससमय आकलन कर, सभी व्यावहारिक और उपयोगी कदम उठाये जाएं। इसके लिए यदि सबल राजनैतिक इच्छा, प्रशासनिक सहयोग, जन-सहभागिता दृढ़ निश्चय और कठोर अनुशासन का सहारा लिया जा सका तो निश्चय ही नवीन पंचायती राज व्यवस्था क माध्यम से गांधी जी की राम राज्य की कल्पना साकार हो सकेगी।

■ ■ ■

कृभको
नई सफलताओं का सिलसिला

कृभको, जिस की स्थापना आधुनिक कृषि को विकसित करने तथा सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए की गई थी, अपनी स्थापना के पहले दिन से ही 'सर्वप्रथम' स्थान प्राप्त करने की गौरवगाथा रही है।

प्रथम गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में स्थित इसका बम्बई समुद्र/दक्षिण बासे की प्राकृतिक गैस पर आधारित विराट अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लैक्स विश्व का सबसे बड़ा और अति आधुनिक उर्वरक संयत्र है।

प्रथम अपने वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष अर्थात 1986 में कृभको के अमोनिया और यूरिया संयत्रों ने क्रमशः 93.5% और 97.4% क्षमता उपभोग किया जो कि अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष में एक विश्व रिकार्ड है।

प्रथम 1987-88 में कृभको का शुद्ध लाभ 126.8 करोड़ रुपये था जोकि देश में किसी उर्वरक संगठन द्वारा अब तक का सर्वाधिक है।

प्रथम कृभको अपने उर्वरक को केवल सहकारी और संस्थागत संगठनों के माध्यम से बेचता है तथा इसका वितरण माध्यम सीमित है। 1989-90 में 20 लाख टन से अधिक विक्रय सचमुच अद्वितीय रिकार्ड के लिये शानदार उपलब्धि है।

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड
रेड रोज हाउस 49-50 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर भारत के लिए प्रयासरत

Newfields

विकास में महिलाओं की भागीदारी

डा. लता सिंह*

ऋणों की अनुपलब्धता हमारे देश की निर्धन महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रही है। तमाम समितियों तथा आयोगों की टिप्पणी है कि शाखाओं के विस्तृत जाल के बावजूद औपचारिक ऋण संस्थानों से निर्धन महिलाओं को ऋण मिलने में कठिनाई होती है। इसके कारणों में एक तो इन संस्थानों की ऋण देने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है और दूसरा बैंक स्टाफ का निर्धन महिलाओं की जरूरतों के प्रति उपेक्षा का भाव होता है। महिलाओं के स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी सिफारिश में स्वरोजगार में लगी महिलाओं के लिए एक ऋण संस्था के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। अंततः मार्च 1993 में सरकार ने एक स्वायतशासी संगठन के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष (राम को) की स्थापना की।

इस कोष का प्रबंध एक गवर्निंग बाडी करती है जिसमें महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों तथा सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस प्रकार 'राम को' की नीतियां निर्धारित करते समय महिलाओं के विकास और उनकी जरूरतों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और जमीनी स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारी अधिकारियों के अनुभव का लाभ भी उन्हें मिलता है।

ऋण अनुभवी गैर सरकारी संगठनों के जरिये दिया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को आठ प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि तथा मध्यम अवधि के ऋण इस प्रकार उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे ऋण पाने वाले को हर हाल में 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं देना पड़े। कोष महिला ऋणियों की व्यापार/व्यवसाय में दक्षता बढ़ाने के लिए छोटे मोटे अनुदान भी देता है।

'राम को' ने नवम्बर 1993 से कार्य करना शुरू किया। दिसम्बर 1994 को समाप्त हुए एक वर्ष की अवधि में सक्षम संस्थाओं से 19.49 करोड़ रुपये ऋण के लिए 78 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवधि में योजना के अंतर्गत 54,548 महिला ऋणियों को ऋण दिया गया। अल्पावधि ऋणों के रूप में 304.54 लाख रुपये और मध्यम अवधि ऋण के रूप में 164.99 लाख रुपये दिए गए।

अधिकतम ऋण (30 प्रतिशत) दुधारू पशुओं के लिए दिये गये। फुटकर व्यापार के लिए 17 प्रतिशत और खान-पान इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत के अलावा सहकारिता ऋण और घरेलू उद्योग आदि के लिए भी ऋण दिये गये।

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल के गैर सरकारी संगठनों के मामलों में महिलाओं को दी गई ऋण सुविधाओं के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि ऋण समर्थन से न सिर्फ महिलाएं अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी होने लगी है।

'राम को' ने सौदों में पारदर्शिता और पारस्परिक विश्वास से अपने भागीदार गैर-सरकारी संगठनों का महत्व बढ़ा दिया है। इसके लिए कोष के अधिकारी गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करते रहते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। ये संगठन भी कोष की कार्यपद्धति में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहते हैं। कोष कापार्ट, सी.एस.डब्ल्यू. बी., एन.आई.पी.सी. सी.डी. तथा राज्यों के समाज कल्याण विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करने के प्रयास कर रहा है।

कोष की 21 दिसम्बर, 1994 को हुई वार्षिक आम सभा में विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक निधि का सृजन किया गया है। इसके साथ ही कोष ने महिला-ऋणियों की मृत्यु, बड़ी दुर्घटनाओं तथा विशेष परिस्थितियों में उत्पादक सम्पत्तियों की हानि की स्थिति में उनके ऋणों को माफ करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए एक पृथक मृत्यु सहायता एवं पुनर्वास निधि की स्थापना भी की है।

'राम को' की ऋण योजना से भविष्य के प्रति बड़ी आशाएं पैदा हुई हैं। यह न केवल महिलाओं की गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण बाजार में अपनी जगह बना रहा है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उपाय भी कर रहा है। कुल मिलाकर देश के विकास में महिलाएं वास्तविक रूप से भागीदार बन रही हैं।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

*सचिव, महिला एवं बाल कल्याण

विनियमित मंडियों से कृषकों की आय में बढ़ोतरी

डा. राधा मोहन श्रीवास्तव*

एवं

डा. दयाशंकर शुक्ल**

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कृषि विपणन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि पदार्थों के विपणन व्यवस्था का किसान की आर्थिक दशा पर काफी प्रभाव पड़ता है। कृषि विकास की कोई नीति चाहे जितनी अच्छी हो किन्तु कृषि विपणन की कुशल व्यवस्था के बिना वह कृषि उत्पादन बढ़ाने में पूरी तरह सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। देश में कृषि विपणन की कुशल व्यवस्था के लिए मंडियों का नियमन किया गया है। विभिन्न राज्यों ने अपनी सुविधानुसार मंडियों का नियमन किया है।

उत्तर प्रदेश में नियंत्रित बाजारों का संगठन और कार्य करना "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964" द्वारा संभव हुआ। इस अधिनियम के तहत मंडी समिति गठित की जाती है, जिनमें किसानों, स्थानीय निकायों, सहकारी विपणन समिति और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति में 12 से 18 सदस्य होते हैं। चूंकि किसानों का अधिकाधिक हित निहित होता है, इस वजह से ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मंडी समिति में उनकी लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

कृषि उत्पादन मंडी समितियों के परिसर में किसानों को अपना उत्पादन बेचने की पर्याप्त सुविधाएं रहती हैं। उसमें किसान के माल की छंटाई-सफाई, प्रमाणित तोल-माप और वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था होती है। किसान से केवल पल्लेदारी, तोलाई, वर्गीकरण आदि के निर्धारित उचित खर्चे और मंडी शुल्क वसूले जाते हैं। अनियमित कटौतियों और धांधली वेईमानी से कृपक की सुरक्षा की जाती है। उत्पादकों के खलिहानों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था हो जाती है। किसानों को अनेक सुविधाएं दी गई हैं जैसे-- गाड़ी खड़ी करने, उनके अपने ठहरने, रोशनी, वाचनालय, डाकघर, पुलिस चौकी, बैंक, विपणन सहकारी समितियां, सूचना केन्द्र आदि। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसान को उत्पादन की विक्री के तत्काल बाद नकद कीमत प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मंडी परिसर में कृपक की सारी विपणन की समस्याएं हल हो जाती हैं। किन्तु ऐसा वहीं पर हो पाता है जहां मण्डी परिषद सभी नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है और मंडी नियमन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

मंडी नियमन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गोरखपुर मंडल के पूर्व के जिलों में से बस्ती और मऊ दो जनपदों को चुना गया। गोरखपुर मंडल में देश की 2.07 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि भारत के भूमि सतह का केवल 0.93 प्रतिशत भाग इसके हिस्से में आता है। पूरे गोरखपुर मंडल में गेहूं की औसत पैदावार 2189 किंवटल प्रति हेक्टेयर है। दोहरीघाट (गोंठा) में सन् 1970 में तथा बस्ती में 1972 में मंडी कानून लागू किए गए। बस्ती कृषि उत्पादन मंडी समिति का कार्यक्षेत्र 72 वर्ग किलोमीटर तक फैला है जबकि दोहरीघाट का 65 वर्ग कि.मी. कार्यक्षेत्र है।

वर्ष 1990, 1991 और 1992 तक के तीन वर्षों के दौरान इन मंडियों की कार्य प्रणाली का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया गया। अध्ययन का मुख्य विषय था मंडी नियमन का कृपकों की गेहूं से प्राप्त आय पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकना। मंडी नियमन के प्रभाव को आंकने के लिए दो आधारभूत मापदंड अपनाये गए।

(1) मंडी-परिसर के भीतर के प्रचलित मूल्य और

(2) मंडी परिसर के बाहर प्रचलित मूल्य।

*रीडर एवं अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर-273402

**प्रोफेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2

तालिका

मंडी नियमन का कृषक के प्रक्षेत्र आय पर प्रभाव

(गेहूं औसत कीमत रु. प्रति क्विंटल)

क्र.सं. विवरण	बस्ती			दोहरीघाट			औसत मूल्य
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	
1. कृषक उत्पादक मूल्य							
(क) मंडी परिसर के भीतर	215	300	320	255	310	400	300.00
(ख) मंडी परिसर के बाहर	205	285	295	235	285	375	280.00
2.मूल्य अन्तर	10	15	25	20	25	25	20.00

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि गेहूं का औसत मूल्य क्रमशः मंडी परिसर में 300 रुपये तथा मंडी परिसर के बाहर 280 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इस प्रकार विपणन के इन दो माडलों में मूल्य अंतराल 20 रुपये प्रति क्विंटल का अधिक लाभ मंडी परिसर के भीतर गेहूं का विक्रय करने वाले किसान को प्राप्त हुआ।

मंडी नियमन के प्रभावों का अध्ययन करने के उपरान्त इस निर्णय पर पहुंचा जा सका कि मंडी परिसरों की कीमतों को किसानों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोरखपुर मंडल के नियंत्रित मंडियों की कार्य प्रणाली के आर्थिक विश्लेषण से यह ठोस निष्कर्ष सामने आया कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी परिसर में ही बेचने की आदत डालनी चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त मूल्य मिल सके। नियंत्रित मंडी परिसर की अंदरूनी व्यवस्था कृषकों के आय में बढ़ोतरी का एक नवीन उपाय है। फिर भी, नियंत्रित मंडियों के कार्यकलापों में कुछ विसंगतियों और बाधाओं के होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यदि निम्नलिखित रूप में उनका निराकरण कर दिया जाए तो निश्चय ही कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि की जा सकती है।

(1) सीमान्त और लघु किसानों के विपणन में वृद्धि किए बिना नियंत्रित मंडियों के कार्य निष्पादन में बेहतरी के पर्याप्त अवसर नहीं होते। इसलिए इन किसानों को उपज में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना नितान्त आवश्यक है। मंडी समितियां एक विकास केन्द्र के रूप में कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2) नियंत्रित मंडियों की सफलता तभी संभव होगी जब उनके परिसर में सभी व्यापारिक कार्य सही और प्रभावी ढंग से होने लगें।

(3) चलनशील निरीक्षण दलों की तैनाती गोपनीय तौर पर प्रत्येक जिला स्तर पर कर दी जाए, जो आकस्मिक छापों से मंडी परिसरों में विपणन में होने वाली बेईमानी व धांधलियों पर कड़ाई से अंकुश लगाए।

(4) पूर्णतः सुसज्जित नियंत्रित मड़ी परिसरों का निर्माण प्रत्येक 5 से 10 कि.मी. के दायरे में किया जाए ताकि किसान अपने उत्पाद वहां सहजता से ला सके।

(5) नियंत्रित मंडी समितियां किसानों को महाजनों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए "महाजन अधिनियम" के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन से सार्थक समन्वय स्थापित करें।

(6) किसानों के विशेषकर सीमान्त और लघु किसानों के सशक्त संगठन तैयार करने में भी मंडी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इससे किसान न केवल अपने उत्पादों को मंडी परिसर में लाने लगेंगे बल्कि उनके संगठन स्वतंत्र और प्रत्यक्ष व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निबाहेंगें।

(7) मंडी परिसर को समस्त बुनियादी जरूरत की सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के कृषक उनके प्रति आकृष्ट हों। साथ ही, विनियमित मंडियों की विशेषताओं और उनसे होने वाले फायदों का किसानों में भरपूर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसके जरिए नियंत्रित मंडियों के प्रति किसानों में एक सार्थक और निर्द्वन्द दृष्टिकोण उत्पन्न होगा।

बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा महज खेल नहीं

अनिता जोशी

मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में ही पड़ जाती है। अतः यह काल सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बालक जीवन के आरंभिक वर्षों में जिस तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त करता है उतनी तेज गति आगे के साठ वर्षों में भी नहीं कर पाता। मैडम मान्टेसरी ने सीखने की इसी द्रुत गति के कारण बालमन को "शोषक मन" की संज्ञा दी। अतः सर्वांगीण विकास के लिए बाल्यावस्था में दिया जाने वाला शिक्षण अति महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी इसे विशेष प्राथमिकता दी गई है।

सामान्यतः छह वर्ष तक की शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहा गया है जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) बच्चों में आरोग्यवर्धक आदतें डालना तथा उन्हें दूसरों के साथ अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम बनाना।

(2) उचित सामाजिक प्रवृत्ति का विकास करना।

(3) बच्चों को स्वावलम्बी बनाना तथा उसकी सृजनात्मक प्रवृति को बढ़ावा देना।

(4) बच्चे में अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना।

(5) उसे संवेदना व संवेगों को व्यक्त करने का अवसर देना, उन्हें समझना, स्वीकार करना व संयमित करना।

(6) वातावरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक और नैतिक विकास करने का प्रयास करती है। तीन से छः वर्ष की अवस्था में शिक्षा का महत्व सामान्यतः दो रूपों में उभरता है। पहला तो बालक के समुचित विकास में, दूसरा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। जहां तक विकास का प्रश्न है इस उम्र में बालक शैशवावस्था की पूर्ण निस्सहाय स्थिति से निकल कर आत्म-निर्भर होने की ओर प्रगति करता है। इस अवस्था में सीखे गए कौशल बाद की आयु में अधिक समन्वयपूर्ण कौशलों को सीखने का आधार बनते हैं। इस उम्र में बच्चा किसी क्रिया को बार-बार दोहराने में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार के दोहराव से अभ्यास होने के कारण योग्यता बढ़ती है। इस उम्र की खासियत यह है कि बच्चे को असफल होने पर साथियों द्वारा हंसी उड़ाये जाने का भय नहीं होता। इसलिए वह जोखिम उठाने को भी तैयार होता है। हां इतना जरूर है कि जिन कार्यों में समय और प्रयत्न अधिक लगते हैं उनमें उसे रुचि नहीं होती।

दूसरे को प्रेम देना और दूसरों का प्रेम प्राप्त करना जीवन में सामाजिक संबंधों की सफलता की आधारशिला है। यह आधार परिवार में स्नेह के आदान-प्रदान से बनता है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसके संपर्क भी बढ़ने लगते हैं। माता-पिता के अलावा बालक अपने भाई-बहनों, हम उम्र दोस्तों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के संपर्क में आता है। परंतु बच्चे के लिए सबका स्नेहभाजन होना या स्नेहपात्र होना सहज नहीं होता। सामाजिक संपर्क में वह अनेक दुःखद और सुखद भावनात्मक अनुभवों से गुजरता है। इन अनुभवों की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि बालक को अपने परिवार में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। यदि परिवार में उसने आत्मनिर्भर होकर उसके अनुसार कार्य करना सीखा है तो उसे स्वयं को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ढालना कम कष्टप्रद होता है। जबकि इसके विपरीत इकलौता या पहला बच्चा, सबसे छोटा बच्चा या पुत्रियों के बीच में एक पुत्र अधिक लाडला होने के कारण आत्मकेन्द्रित हो जाता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालने में कठिनाई अनुभव करता है। बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का बहुत अधिक महत्व है। इसी के माध्यम से बालक बिना किसी बोझ के अनेक कुशलताएं, अनुशासन और संवेगों पर नियंत्रण जैसी जटिल चीजों को बड़ी सरलता से सीख जाता है। इसके अलावा खेल आत्माभिव्यक्ति का उत्कृष्ट माध्यम है। आवश्यकता केवल बालक को अवसर प्रदान करने की है। तीन से छः वर्ष की उम्र के बच्चे के अनुभव तेजी से विकसित व विस्तृत होने लगते हैं। वह चीजों को छूकर और प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाता है। तीसरा वर्ष तो जैसे प्रश्न पूछने की आयु ही होती है। तीन से चार वर्ष तक बालक "क्या, कहां" जैसे प्रश्न अधिक पूछते हैं जबकि चार से छः वर्ष तक "क्यों" और "कैसे" के माध्यम से अपनी जिज्ञासा दूर करते हैं। इस प्रकार बुद्धि के विकास की

दृष्टि से भी यह उम्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस उम्र की एक बड़ी समस्या बालक के स्वतंत्रता के अहसास की अभिव्यक्ति है। माता-पिता उसे लाड़-प्यार देकर रक्षक वातावरण प्रदान करते हैं। वे बच्चों के व्यवहार पर अधिक ध्यान देते हैं। एक ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बच्चा आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करता है और दूसरी ओर माता-पिता बच्चे को अपने अनुशासन में रखने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण इस अवस्था में माता-पिता और बच्चों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। बच्चे को तीन वर्ष या उससे कम उम्र में स्कूल में दाखिल करवा कर माता-पिता बच्चे के अच्छे भविष्य के सपने बुनना शुरू कर देते हैं जबकि बालक का तन और मन दोनों ही अभी इस बोझ को ढोने के योग्य नहीं होते। अधिकांश स्कूल इस उम्र में खेल के माध्यम से शिक्षा देने का दावा तो करते हैं परन्तु महंगी फीस के बावजूद बच्चे को जो वातावरण और सुविधा वहां उपलब्ध होती है वह महज एक दिखावा है। बच्चे को खेल के नाम पर साल-छः माह की कैद के बाद उसी भारी बस्ते के साथ औपचारिक शिक्षा की कक्षा में धकेल दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है बच्चे का पढ़ाई से कतराने और स्कूल से भागने का सिलसिला। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने और उनके समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक आवश्यक कदम है। तीन वर्ष की अवधि में बालक दैनिक व्यवहार और सामाजिक नियम सीखता है। नाप-तौल, आकार, आकृतियों की समझ, गणित की प्राथमिक जानकारी द्वारा बच्चों के अनुभव और ज्ञान के दायरे को विकसित कर प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। बालक विकासोन्मुख होता है। अतः उसके स्वाभाविक व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए जिससे कि उसे अनुवांशिक गुणों को प्रकट करने के पूरे अवसर प्राप्त हों और एक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्व का निर्माण हो सके।

इस प्रकार अनौपचारिक रूप से दी जाने वाली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वैयक्तिक और सामाजिक विकास का श्रेष्ठ सोपान है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बी-15, राधानगर कालोनी,
इंदौर

सफलता की कहानी

एक अनूठी छाप

अर्चना दत्ता

हरिद्वार जिले का कटारपुर गांव अब उन प्रगतिशील ग्रामों में से है जिसे आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जा सकता है। न केवल बाह्य रूप में परंतु गांव के आंतरिक स्वरूप और रहन-सहन के स्तर में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। गांव के लोग इस परिवर्तन का श्रेय ग्रामीण युवकों के एक स्थानीय क्लब को देते हैं।

सन् 1992 में एक स्नातक कृषक युवक, श्री आदित्य कुमार ने अपने गांव में एक क्लब का सूत्रपात किया। कुछ अग्रणी सहयोगियों के साथ उसने गांव के लोगों के दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जागृति का बीड़ा उठाया। स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन, नशाबंदी आदि विषयों पर लघु नाटकों आदि के जरिये इन युवकों ने ग्रामवासियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। आरंभ में गांव के बुजुर्गों ने उनके क्रियाकलापों को निरर्थक प्रयासों की संज्ञा दी। परंतु ये युवक हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने निर्धन परिवारों के बच्चों तथा इच्छुक प्रौढ़ व्यक्तियों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना की। ग्राम्य महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लेडीज क्लब का गठन किया गया। गांव के आसपास बंजर भूमि के सुधार के लिए 700 से भी अधिक पौधे लगाए गये और 1200 पौधे और लगाने की योजना है।

क्लब के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। सदस्यों के लिए एक आचार संहिता है जिसमें शराब पीने और धूम्रपान पर सख्त निषेध है। इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी है। आज क्लब मानव-मूल्यों व धार्मिक सद्भाव के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। सभी ग्रामवासियों को इस पर गर्व है।

संयुक्त निदेशक
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
देहरादून (उ. प्र.)

मध्य प्रदेश की पंचायतों में तीन हजार महिलाएं सामान्य सीटों पर भी जीतीं

✍ रोहिताश्व कुमार

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित थे किंतु महिलाओं ने 35 प्रतिशत स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस तरह उन्होंने निर्धारित स्थानों से भी अधिक स्थान प्राप्त किए।

संविधान संशोधन के समय यह शंका व्यक्त की जाती थी कि इतनी संख्या में महिलायें नहीं मिल पाएगीं क्योंकि गांवों में महिलाओं में जनजागृति का अभाव है। पर्दे की प्रथा और निरक्षरता के कारण भी उम्मीदवार नहीं मिल पाएंगे। नतीजा, उनके स्थान खाली रह जाएंगे। परंतु मध्य प्रदेश की महिलाओं ने इस आशंका को निर्मूल ही नहीं किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि वे चुनाव मैदान में पुरुषों को पराजित कर अनारक्षित स्थानों पर भी कब्जा कर सकती हैं। महिलाओं ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाएं तो वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला कर सकती हैं और अपनी क्षमता का परिचय दे सकती हैं।

मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य की महिलाओं ने जो उदाहरण पेश किया है, उसका असर दूसरे राज्यों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। खासकर विकसित राज्यों में, जहां की महिलाएं राष्ट्रीय औसत से अधिक शिक्षित हैं।

इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई देनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में सरपंचों और पंचों के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाने की व्यवस्था का व्यापक प्रचार किया था। इसमें राजनीतिक दलों और संचार माध्यमों ने भी अपेक्षित सहयोग किया था। सरकार ने इस बात की पक्की व्यवस्था की थी कि महिलाओं को, चुनाव मैदान से दूर रखने के लिए किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। पंचायतों के चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति से सामान्य आचार-संहिता भी लागू की गयी थी। साथ ही चुनाव के दौरान मद्य-निषेध लागू किया गया था।

मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों के चुनाव में 4,88,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 60 प्रतिशत उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।

ग्राम पंचायतों के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के कारण चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई। कुल 67 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया इससे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपूर्व जनतांत्रिक चेतना का अभास मिलता है।

डी-48 सीतापुरी,
नई दिल्ली-110045

(पृष्ठ 20 का शेष)

भविष्यवाणी...

अपना भाग्य तो बदल नहीं पाता, वरना सड़क के किनारे बैठकर लोगों को क्यों ठगता। पर हम ऐसे ठगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा हुआ, आज सबके सामने ऐसे ढोंगी और ठग की पोल खुल गयी।" श्यामू ने कहा।

अगले दिन से शहर में कचहरी के पास उस पेड़ के नीचे, वह ज्योतिषी नजर नहीं आया।

102, एच. आई. जी. डूप्लेक्स,
व्रजविहार, पोस्ट : चन्द्र नगर,
जिला : गाजियाबाद (उ० प्र०)
पिन 201011

गांवों में व्यर्थ पदार्थों का उपयोग

डा० राकेश सिंह सेंगर
पादप कार्मिकी विभाग
गों.व. पन्त वि. विद्यालय
पन्त नगर (उ.प्र.)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गांवों के बारे में कहा था कि "जो गुण प्राप्त यहां की हवा में कभी नहीं डाक्टरी दवा में" इसके साथ ही किसी कवि ने भी ग्राम्य जीवन की सराहना में लिखा है। "अहो ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका जी चाहे" परन्तु आज हमारे गांव उपेक्षित नजर आ रहे हैं। गांवों में विजली, पानी एवं आवास का अभाव है तथा पर्याप्त संख्या में युवक बेरोजगार हैं। गांवों में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और घरों के पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी रहती है। इसमें विभिन्न रोगों के कीटाणु पलते हैं और भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। किसी जलाशय के किनारे कूड़ा, कचरा एकत्रित रहने से उसका पानी भी प्रदूषित हो जाता है और उसे पीने से पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम कर इन व्यर्थ पदार्थों के उपयोग के तरीके ढूंढ निकाले हैं। इससे एक ओर गांवों में सफाई रह सकेगी और दूसरी ओर अनुपयोगी पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा अर्थात आम के आम तथा गुठलियों के दाम भी प्राप्त हो सकेंगे।

कूड़े-कचरे से कम्पोस्ट खाद का निर्माण

वर्तमान युग में जब रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभाव सामने आ रहे हैं तो इससे बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में कम्पोस्ट खाद बनाई जा सकती है। यह गुणवत्ता युक्त होती है और मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान करती है। कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए गांव के बाहर ऊंचाई वाले स्थान पर जहां बरसात का पानी न ठहरता हो, बड़ा गड्ढा तैयार किया जाता है। इस गड्ढे में फसलों का अवशेष, गिरी हुई पत्तियों तथा रसोई के अवशेष आदि हर रोज डालते रहते हैं। इसे पानी से नम भी कर देते हैं जिससे सड़ने की क्रिया सुचारु रूप से चल सके। यदि घर में पालतू पशु भी हैं तो उनका गोबर तथा पेशाब भी गड्ढे में डालने से कम्पोस्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। गड्ढा भर जाने पर उसे घास आदि से ढक देते हैं तथा ऊपर से मिट्टी डाल कर बन्द कर देते हैं। लगभग 6-10 माह के बाद गड्ढे में डाला गया कूड़ा-कचरा सड़ जाता है और एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है । इस खाद के प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है और गांव प्रदूषण तथा बीमारियों के प्रकोप से भी बचा रहता है।

कचरा एवं पत्तियों से गोबर गैस निर्माण

गांवों में विद्युत की सुविधा न होने पर अंधेरे में दुर्घटनाएं होने और चोरी आदि की संभावनाएं रहती हैं। अंधेरे में कोई काम धंधा करना भी कठिन होता है। गोबर, जिससे कि उच्च कोटि की खाद बनाई जा सकती है, ग्रामीण उपले बनाकर खाना पकाने में नष्ट कर देते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में कचरे से भी गैस बनाना संभव हो गया है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक अरब टन गोबर का उत्पादन होता है, जिससे प्रति वर्ष लगभग साढ़े बाइस करोड़ घन मीटर गैस प्राप्त हो सकती है। इसके लिए गोबर तथा पेड़ पौधों की हरी और सूखी पत्तियां भी काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार से बनाई गई गैस से न केवल गांव वालों को प्रकाश और ईंधन मिलेगा बल्कि, गैस बनाने से बचे अवशेष से भी अच्छी क्वालिटी की खाद भी प्राप्त होगी, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी।

धान की भूसी से विद्युत निर्माण

वैज्ञानिकों ने ऐसी विधि विकसित कर ली है कि जिससे धान की भूसी से विजली तैयार की जा सकती है। देश में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है और इससे चावल निकालने के पश्चात् भूसी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है। धान की भूसी को विशेष

परिस्थितियों में वायु की अनुपस्थिति में लगभग 350 डिग्री सैल्सियस के तापमान पर जलाकर विद्युत जेनेरेटर चलाया जाता है। भूसी से विद्युत बनाने के साथ ही शेष बची भस्म का उपयोग रबड़ उद्योग, पेन्ट और कीटनाशियों के निर्माण में किया जाता है। एक वैज्ञानिक गणना के अनुसार प्रति घंटा 250 किलोग्राम धान की भूसी संसाधित करने से 122 किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।

पुआल, भूसी और चोकर से तेल निर्माण

हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 24 लाख टन धान का छिलका निकलता है और इसके अतिरिक्त अन्य अनाजों से भी चोकर और भूसी प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों ने अब ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि उन व्यर्थ एवं अनुपयोगी पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में तेल निकाला जा सकता है। देश में उपलब्ध सभी प्रकार की भूसी, चोकर आदि को यदि पूर्ण रूप से तेल बनाने के कार्य में लाया जाए तो लगभग 15 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीमेंट उद्योग तथा ऊसर सुधार में भी इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है।

प्लास्टिक एवं सिन्थेटिक थैलियों का पुनः उपयोग

दैनिक उपयोग की वस्तुएं पैक करते समय जहां कागज के लिफाफे काम में लाए जाते थे, वहां अब प्लास्टिक और सिंथेटिक थैलियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा है। इन थैलियों का सड़ना-गलना एक समस्या बन गया था और जलाने पर गैस प्रदूषण होता था। परन्तु अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकी का विकास कर लिया है कि इन वस्तुओं को गलाकर प्लास्टिक दाना बना लिया जाता है और फिर इस दाने का उपयोग प्लास्टिक के जूते, चप्पल, बैग आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। इन वस्तुओं के टूटने के पश्चात इनका उपयोग पुनः प्लास्टिक दाना बनाने में किया जाता है और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है।

लोहे और कांच के टुकड़ों का पुनः उपयोग

गांवों में विभिन्न स्थानों पर फेरी लगाकर कुछ व्यक्ति लोहे, कांच आदि बर्तनों के व्यर्थ पड़े टुकड़ों को एकत्रित करके तथा उपभोक्ताओं से खरीद कर नगरों में पहुंचाते रहते हैं जहां इन वस्तुओं को भट्टियों में उच्च ताप पर पिघला कर नई वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से गांवों में उपलब्ध व्यर्थ एवं अनुपयोगी वस्तुओं और पदार्थों को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण युवकों को जीविकापार्जन का अवसर ही प्राप्त होगा बल्कि नगरों की सुख-सुविधा भी उन्हें गांवों में ही प्राप्त हो सकेंगी और नगरों की ओर उनका पलायन भी रुक जाएगा।

मौन स्वर

राजीव कुमार मेहरा

मैं कवि नहीं वृक्ष की वेदना हूं।
मैं आदि में जीवनदाता
अब धनोपार्जन का अभिप्राय हूं
मैं कल खड़ा अडिग स्तम्भ था
अब गिर कर कल की सभ्यता का अवशेष हूं
मैं सर्वत्र से मिटकर अब प्रतीक मात्र हूं
मैं हरियाली की अभिव्यक्ति को छोड़कर
अब अपने अस्तित्व की तलाश में हूं
मैं अब इस युग का विरोध मात्र हूं
सागर में डूबती एक नाव हूं
मेरा जीवन अब एक अभिशाप है
झुकी हुई डालियां अब एक ख्वाब हैं।
फिर भी बड़ा आशावान हूं
होगा कोई मनुज इस धरा पर
जो रोकेगा इस प्रहार को
टूटते धरा के हार को
मैं फैल जाऊंगा सर्वत्र एक सम्मान के साथ
एक नई संस्कृति का प्रतीक बनकर
मैं वृक्ष का अशान्त मन हूं।

1-दिलकुशा नया कटरा,
इलाहाबाद (उ.प्र.),
211002

महिला समृद्धि योजना के बढ़ते कदम

महिलाएं देश की जनसंख्या का 48.1 प्रतिशत हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही उनका विकास हमारी योजना का एक हिस्सा रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा देकर राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया है। सरकार ने एक ऐसा प्रेरक वातावरण बना दिया है जिसमें स्वयं सरकार, स्वयंसेवी संगठन और निजी क्षेत्र महिलाओं के हितों को अभिव्यक्त और मुखरित करते हैं तथा उनका समाधान निकालते हैं।

सरकार ने महिलाओं का आर्थिक दर्जा बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने का जो सब से नया परिवर्तनकारी कदम उठाया है, वह है महिला समृद्धि योजना। इसे दो अक्तूबर 1993 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत के द्वारा अपनी वित्तीय परिसम्पदा बढ़ाने की आदत डालना और उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि देहाती इलाकों में स्त्री-पुरुष के बीच असमानताओं को दूर करने में वे महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

महिला समृद्धि योजना में प्रावधान है कि जब ग्रामीण महिलाएं डाकघरों में एक वर्ष की अवधि के लिए अधिक से अधिक तीन सौ रुपये तक की राशि जमा कर लेंगी तो उन्हें अपनी इस जमा राशि पर सरकारी प्रोत्साहन के रूप में 25 प्रतिशत मिलेगा। सरकार एक वर्ष में अधिक से अधिक 75 रुपये का अंशदान करेगी। अठारह वर्ष और उससे अधिक उम्र की कोई भी ग्रामीण महिला अपना खाता खोल सकती है।

अक्तूबर 1993 में इस योजना के आरंभ होने के पहले महीने में ग्रामीण महिलाओं ने 1,15,672 खाते खोले। एक वर्ष के पूरा होने पर देश भर में 45,20,000 खाते खोले गए जिनमें 37 करोड़ 85 लाख रुपये जमा हुए। प्रत्येक महीने औसतन दो लाख खाते खोले गए। 1994 में अगस्त और सितम्बर के महीनों के दौरान खातों की संख्या काफी बढ़ गई। अगस्त में 8,28,000 और सितम्बर में 19,62,000 खाते खोले गए। इससे पता चलता है कि देश के देहाती इलाकों की महिलाओं में इस योजना के प्रति काफी उत्साह है।

अधिकतर राज्यों ने भी इस योजना का उत्साहपूर्वक समर्थन किया है। असम, कर्नाटक जैसे राज्यों और अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में महिला समृद्धि योजना के खातेदारों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिनमें सारे के सारे गांव इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सभी 44 गांव ग्रामीण महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने लगे हैं। यह अपने में एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इन गांवों को बचत गांव घोषित किया गया है। इसी तरह केरल में पलाक्काड जिले की केरलास्सेरी पंचायत 2604 परिवारों में हर परिवार की कम से कम एक महिला को महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खोलने के लिए प्रेरित कर सकी है। केरल सरकार ने केरलास्सेरी पंचायत को सम्पूर्ण महिला समृद्धि योजना पंचायत घोषित किया है।

इधर इस योजना के खातों की संख्या निरंतर बढ़ते हुए 72 लाख तक पहुंच गई है जिनमें कुल 66 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। तेइस राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने योजना के नियमित निरीक्षण करते रहने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों में भी महिला समृद्धि योजना संतोषजनक प्रगति कर रही है। सितम्बर तक इन क्षेत्रों में 3 करोड़ 87 लाख रुपये की जमा राशि के साथ 3 लाख 78 हजार खाते खोले जा चुके थे। दिसम्बर 1994 तक इसमें और वृद्धि हुई और 6 करोड़ 60 लाख रुपये की जमा राशि के साथ खातों की संख्या बढ़कर 8 लाख 13 हजार तक पहुंच गई।

इस योजना के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर के विशेष पुरस्कार आरंभ किए गए हैं ताकि योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्नों को मान्यता और प्रतिष्ठा मिल सके। दो अक्तूबर 1993 से लेकर 30 सितम्बर 1994 तक की क्रियान्वयन अवधि में सराहनीय कार्य के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा को राज्य स्तर के पुरस्कार दिए गए। उन्हें क्रमशः साढ़े तीन लाख, ढाई लाख और दो लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्र शासित क्षेत्रों में चंडीगढ़ और पांडिचेरी को पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ।

साभारः पत्र सूचना कार्यालय

ग्रामीण बेरोजगारी तथा जवाहर रोजगार योजना

डा० अमिताभ लाहिड़ी

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी से प्रभावित हैं। पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में इस स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अक्तूबर 1980 से आरंभ की गई। काम के बदले अनाज योजना का स्थान इस नई योजना ने पहली अप्रैल 1981 से ले लिया। 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना आरंभ की गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पादकता तथा खाद्यपूर्ति को महत्व देते हुए यह निर्णय लिया गया कि रोजगार चाहने वाले हर व्यक्ति को रोजगार मिले तथा रोजगार के तात्कालिक और दीर्घकालीन अवसर विकसित किए जाएं।

इसी योजनावधि में देश के पिछड़े हुए जिलों में अत्यधिक गरीबी तथा बेरोजगारी का सामना करने के लिये एक नई योजना, पहली अप्रैल 1989 से लागू की गई। इसे जवाहर रोजगार योजना नाम दिया गया। इसके पहले की योजनाएं इसी नई योजना में समाहित कर दी गईं।

इस योजना को केन्द्र परिचालित योजना के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया जिसमें केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वहन किए गए व्यय का अनुपात 80:20 रखा गया। यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सरकार सीधे जिला पंचायतों को राशि प्रेषित करेगी। बाद में यह तय किया गया कि राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा राज्य सरकार विभिन्न जिला पंचायतों को केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप राशि वितरित करेगी।

योजना का मूल उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अन्य उद्देश्य हैं

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार की सम्भावनाओं को विकसित करने के लिए अर्थ व्यवस्था में विकास करना तथा गरीब जनता के लिए उपयोगी सुविधाओं का विस्तार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना।

जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना रखा गया। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा बंधुआ मजदूरों को विशेष रूप से लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि रोजगार सुविधाओं का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए।

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

(1) उत्पादकता बढ़ाने वाले आर्थिक साधनों का विस्तार

इसके अन्तर्गत सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, पानी का जमाव रोकने के उपाय, भूमि का विकास तथा संवर्धन, ग्रामीण जलाशयों का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है।

(2) सामुदायिक कल्याण के कार्य

ग्रामीण सड़कें, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल भवन, शौचालयों और मकान निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान का विकास इत्यादि इस श्रेणी में है।

(3) इन्दिरा आवास योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवास निर्माण।

(4) दस लाख कुओं की योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पूर्व बंधुआ मजदूरों की भूमि पर सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण।

(5) सामाजिक वानिकी

वनभूमि, कृषि क्षेत्रों तथा अन्य उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण।

यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनका सम्बन्ध एक ओर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने तथा दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना है। ऐसा माना गया है कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी।

चूंकि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को स्थायी रूप से बढ़ाना है अतः इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के ढांचे में आजकल किस प्रकार की प्रवृत्तियां स्पष्ट हो रही हैं।

योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्न तथ्य उजागर हुए हैं :

- ग्रामीण भूमि का तीन चौथाई भाग अभी भी एक चौथाई लोगों के अधिकार में है।
- सीमांत कृषकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- प्रति ग्रामीण परिवार के अधिकार में औसत भूमि पिछले दशक में 1.53 हेक्टेयर से घटकर 1.28 हेक्टेयर हो गई है।
- कई सीमांत कृषक अपनी भूमि दूसरों को ठेके पर देकर अन्यत्र मजदूरी कर रहे हैं।

इसके अलावा इस मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण मजदूरों के कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण मजदूर शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं तथा गांव में रहकर भी कृषि से हटकर गैर-कृषि उद्यमों की ओर बढ़ रहे हैं।

व्यावसायीकरण तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण गैर-कृषि क्षेत्रों का विकास हो रहा है। कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप श्रमिकों की मांग कम हो रही है। भावी योजना बनाते समय इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखने का आग्रह मूल्यांकन में किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की निरंतर वृद्धि करना बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। पशुपालन, कुटीर उद्योग, डेरी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प इत्यादि के आधुनिकीकरण से गांवों में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ सकते हैं।

अतः यह उचित होगा कि जवाहर रोजगार योजना में इन क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाए।

पिछली कई योजनाओं में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। इन्हें वांछित सफलता न मिलने का मुख्य कारण यह रहा कि इन वस्तुओं के विपणन के लिए न व्यवस्थित मार्केट रिसर्च किया गया और न उपभोक्ताओं की रुचि का कोई आभास उत्पादकों को मिल पाया। कुटीर उद्योग में लगे हुए कामगारों को केवल स्थानीय मांग की जानकारी होती है। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के बाजार का विस्तार तभी हो सकता है जब उन्हें उपभोक्ताओं की रुचि का ज्ञान हो तथा उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक साधन प्राप्त हों।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो कार्य हाथ में लिये गये हैं उन्हें सम्पन्न करने के लिए कार्यकर्ताओं का गहन प्रशिक्षण तो आवश्यक है ही, साथ ही उन्हें योजना के उद्देश्यों तथा भावना से अवगत कराना चाहिए।

अभी तक इस योजना के अन्तर्गत जो कार्य लिये गये हैं वे मुख्यतः भवन निर्माण, तालाब गहरीकरण इत्यादि तक सीमित हैं। भूमि सुधार, जल साधनों का विकास, भूमि संरक्षण इत्यादि कार्यों के लिये तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब तक ग्राम स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं होती तब तक इन कार्यों के किए जाने की संभावना कम है।

देश में पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ग्राम तथा जिला पंचायतें स्थापित हो जायेंगी। यदि इन्हें विकास के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन तथा सुविधाएं दी जाएं तो ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में जवाहर रोजगार योजना की सफलता के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :

- प्रत्येक गांव में वस्तुस्थिति का अध्ययन कर विकास के मुद्दे निश्चित करना। इस अध्ययन में इस पक्ष पर विशेष ध्यान

(शेष पृष्ठ 41 पर)

ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान

डा. भास्कर मिश्र* और डा. ऋषि कुमार शुक्ल**

ग्रामीणों की आजीविका का मूलाधार कृषि है। आजीविका के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का सबल स्रोत भी कृषि ही है। लेकिन अत्यधिक खेद का विषय है कि जो किसान ग्रीष्म की तपती दुपहरी में खून जला तथा पसीना बहाकर, जाड़े की कठोर असह्य शीत को कड़कड़ाते दांतों और कांपते बदन सहकर तथा वर्षा और तूफानों की मार झेलकर फसल उगाता है, उसे उसकी कठोर मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। वह जरूरतमंद किसान आये-गये दामों पर अपनी फसल अथवा उत्पाद को बेच डालता है। उसकी मेहनत का वास्तविक लाभ बिचौलिए ले जाते हैं और किसान अपनी उसी बदहाली में जीने को मजबूर हो जाता है। शहरी व्यवसायी किसानों से कम दामों पर खरीदे कृषि उत्पादों से व्यावसायिक स्तर पर विशिष्ट उत्पाद तैयार कर धनोपार्जन करते हैं। परिणामतः वे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और आर्थिक-सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं।

आर्थिक समृद्धि के लिए निहायत जरूरी हैं उद्योग धन्धे। यदि कृषक ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग धंधे अपने घर-आंगन में विकसित करें तथा विपणन व्यवस्था भी अपने हाथों में लें तो निश्चय ही उन्हें न केवल अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिलेगा बल्कि खूब लाभ भी होगा। हां! इस कदम के सफल क्रियान्वयन में आवश्यक तत्व होंगे, पूंजी-प्रबन्ध तथा किसानों के अपने आपसी सहयोग। यदि वित्तीय संस्थाओं के जरिये पूंजी-प्रबन्ध तथा आपसी सहयोग से विपणन समितियों का गठन कर लिया जाए तो ग्राम स्तर पर कृषि आधारित उद्योग सफलतापूर्वक विकसित किये जा सकते हैं। इस दिशा में सुशिक्षित तथा समृद्ध किसानों को अगुवाई करनी होगी, तभी गांव के घर-घर में उद्योग स्थापित हो सकेंगे और हमारा ग्रामीण भारत अतीत की भांति समृद्ध हो सकेगा।

कृषि उत्पादों पर आधारित अनेक ऐसे उद्योग हैं जिन्हें ग्रामीण अपनाकर अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। प्रस्तुत हैं, कुछ कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा।

खाद्यान्न आधारित उद्योग

गेहूं : गेहूं प्रमुख खाद्यान्न है। आर्थिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसका उत्पादन मूल्य प्रति किलोग्राम जहां लगभग 5 रुपये है, वहीं इसका प्रारंभिक बाजार मूल्य 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम के लगभग ही होता है। देखा जाए तो किसान को गेहूं उत्पादन में घाटा ही घाटा है। लेकिन प्रश्न है कि वह अगर गेहूं न उगाये तो रोटी कहां से खाये।

अतः गेहूं उगाना उसकी विवशता है। लेकिन पारिवारिक उपभोग आवश्यकता से ज्यादा पैदा किये गये गेहूं से अनेक ऐसे उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। मसलन बेकरी उद्योग, दलिया उद्योग, सूजी उद्योग, बिस्कुट उद्योग, मैदा उद्योग आदि। इस तरह के उद्योगों की स्थापना से कौड़ियों के मोल गेहूं बेचने की नौबत नहीं आयेगी तथा सारा पैसा किसानों के हाथ में आयेगा।

धान : धान पर आधारित उद्योगों में प्रमुख हैं—चूड़ा उद्योग, लाई उद्योग, चावल तथा भुजिया चावल उद्योग। भुजिया चावल में लाइसिन होता है जिसकी वजह से इसे मधुमेह और रक्तचाप जैसे रोगों के रोगी भी खा सकते हैं। यह उनका पोषणयुक्त आहार हो जाता है। धान की भूसी से तेल निकालने का उद्योग दुष्कर तो है, लेकिन अत्यन्त लाभदायक है। इस तेल का प्रयोग सौन्दर्य प्रसाधनों व साबुन आदि बनाने में किया जाता है। धान की भूसी के जलाने से उत्पन्न ऊर्जा से मोटर भी चलाई जा सकती है। धान की भूसी से सीमेन्ट जैसा पदार्थ बनाने की प्रक्रिया पर अनुसंधान किया जा रहा है। धान की भूसी से कार्ड बोर्ड बनाने तथा पुआल से कागज बनाने का उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

*सह प्राध्यापक

**अध्यक्ष, प्रसार शिक्षा विभाग, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फ़ैज़ाबाद

मक्का : मक्का भी उपयोगी खाद्यान्न है। इसे किसान ज्यादातर भुट्टे और लावे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे दलकर भात के रूप में भी खाया जाता है। मक्के के आटे की रोटी खायी जाती है। यदि मक्के के व्यावसायिक स्वरूप की ओर ध्यान दिया जाए तो इससे कई लाभकारी उद्योग भी स्थापित किये जा सकते हैं। जैसे पापकार्न उद्योग, नमकीन परमल उद्योग, कार्नफ्लेक्स उद्योग आदि। शहरों में मक्के के दानों को ठेले वाले भून कर बेचते हैं। प्लास्टिक के पैकेटों में मक्के के लावे भरकर भी बेचे जाते हैं। ये सभी काम घरेलू स्तर पर आसानी से हो सकते हैं। मक्के के तने से कागज बनाया जाता है। मक्के के दाने निकाल कर उसकी भुकड़ी को जलाने से बनी राख कपड़े धोने तथा कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इससे फसल को नुकसान भी नहीं होता तथा उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। भूमि भी प्रदूषण रहित रहती है।

जौ : जौ खाद्यान्नों का राजा माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में जौ का प्रयोग कलश गुंथन तथा वेदिका और हवन सामग्री में किया जाता है। जौ शीघ्र पचने वाला अन्न है। इसीलिए चिकित्सक रोगी को जौ के सत्व का पथ्य देते हैं। जौ से सत्तू और जौ दलिया भी बनाकर बेचा जा सकता है।

दलहन आधारित उद्योग

चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि ऐसी दलहनी फसलें हैं, जिन्हें लाभ की दृष्टि से शस्य योजना में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इनसे गेहूं, चावल आदि की अपेक्षा आर्थिक लाभ ज्यादा है। दलहनी फसलों की काश्त को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रोत्साहन देती है। दलहन पर आधारित अनेक उद्योग हैं जिन्हें सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। चने से बेसन उद्योग, भूने हुए दाने के पैकेट, अंकुरित दाने के पैकेट, नमकीन के पैकेट, बड़ी उद्योग, सत्तू उद्योग आदि लगाए जा सकते हैं। मटर, उड़द, व मसूर से दाल तथा बड़ी और नमकीन, मूंग की दाल से नमकीन तथा लड्डू आदि बनाने के घरेलू उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। समर्थ किसान अरहर की दाल की मिल स्थापित करके अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं।

तिलहन आधारित उद्योग

सूरजमुखी नगदी फसल है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है। तेल निष्कासन संयंत्रों को लगाकर सूरजमुखी से तेल निकालने का उद्योग सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसके तेल की उपयोगिता को देखते हुए इसकी अत्यधिक मांग है। इसकी खली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। कुसुम का तेल भी हृदय रोगियों के लिए सूरजमुखी के समान ही फायदेमन्द है। सूरजमुखी तथा कुसुम के तेल में बनी पूड़ियां अथवा पकवान देशी घी में बने पकवान के समान ही स्वादिष्ट होते हैं। सूरजमुखी तथा कुसुम की खेती का प्रचलन अब तेजी से बढ़ता जा रहा है।

तिल का तेल तथा खली दोनों का प्रयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। तिल के तेल का प्रयोग दीपक जलाने, मालिश करने तथा खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। तिल के स्वादिष्ट लड्डू बनाये जाते हैं। इसकी खली का उपयोग विविध स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। अतः तिल से सम्बन्धित अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के उद्योग लगाए जा सकते हैं।

सरसों का तेल और खली दोनों उपयोगी हैं। गांवों में आज भी कोल्हू से तेल निकालने की पुरातन पद्धति है। आटा चक्कियों में प्रायः तेल निकालने के संयंत्र लगे होते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। यदि शुद्ध तेल के पैकेट अथवा डिब्बे उद्योग के रूप में तैयार किये जाएं तथा उपभोक्ताओं को शुद्धता के प्रति आश्वस्त कर दिया जाए तो यह उद्योग गांव में विशेष रूप से सफल हो सकता है। सरसों की खली पशुओं को खिलाने के काम में आती है।

तीसी का तेल साबुन निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसकी खली पशुओं को खिलाई जाती है। इसके तेल का व्यापारिक महत्व है।

सोयाबीन से अनेक उद्योगों की स्थापना सम्भव है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। वहां सोयाबीन से तेल निकालने के कई संयंत्र भी हैं। सोयाबीन से दूध, दही, मट्ठे के साथ-साथ इसकी बड़िया बनायी जाती हैं। आजकल बाजार में इनकी काफी मांग है।

महुआ के फल से तेल निकाला जाता है। विभिन्न वनस्पति तेल उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जाड़े के दिनों में महुए की खली अथवा महुआ यदि बैलों को खिला दिया जाए

तो उनमें काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है और ठंड से उनकी रक्षा भी होती है। अतः महुए के कोइने (फल) और महुआ (फूल) दोनों के विपणन से धनोपार्जन किया जा सकता है।

साखू के बीज जंगलों में बहुतायत गिरते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जंगल के पास बसे गांवों के निवासी सुबह से शाम तक जंगल में जाकर साखू के बीज एकत्रित करते हैं और व्यापारियों को मामूली सी कीमतों पर बेचते हैं।

नीम एक ऐसा पौधा है, जिसके गुण अपार हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रन्थों में नीम की उपयोगिता के विषय में विशद विवेचन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही देश के पौधे नीम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यापारिक समझौते में पेटेन्ट कानून के तहत इस पर अमरीका का अधिकार हो गया है। नीम का तेल कीटाणुनाशी होता है। इसकी पत्तियां तथा खली खेतों अथवा पौधों की जड़ों में डालने से दीमक नष्ट हो जाती है। नीम-तेल से जलते दीपक से वातावरण स्वच्छ रहता है।

सब्जी आधारित उद्योग

हरी पत्तियों वाली सब्जियों जैसे पालक, मेथी, धनिया, चौलाई आदि को छाया में सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जा सकता है। इस पाउडर को आफ सीजन में जब वे उपलब्ध न हों तो प्रयोग किया जा सकता है। हरी पत्ती वाली सब्जियों के इन पाउडर उत्पादों का पोषण मूल्य संघनित रूप से ज्यादा होता है तथा साथ ही साथ इनमें प्रोटीन भी ज्यादा होती है। इनके पैकेट तैयार करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। सब्जी बनाते समय हरी धनियां की पत्तियों के पाउडर को उसमें यदि डाल दिया जाए तो सब्जी का जायका बढ़ जाता है। हरी पत्तियों वाली सब्जियों को सीजन में खाने से गैस बनती है लेकिन आफ सीजन में इनके चूर्ण के सेवन से गैस की तकलीफ नहीं होती। अतः हरी पत्तियों वाली सब्जियों के "चूर्ण पैकेट" के उद्योग लाभकारी हो सकते हैं।

कन्दीय सब्जियों तथा ट्यूबर जैसे आलू को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू को आधा उबालकर उसमें हल्दी और नमक मिलाकर तथा धूप में सुखाकर सुरक्षित कर लेते हैं और आफ सीजन में उसका उपयोग करते हैं। टमाटर के जैम, जैली, रस आदि उत्पाद तैयार करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। टमाटर के रस का उपयोग बड़ी बनाने में करने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है।

फूलगोभी तथा पत्तागोभी को भी छाया में सुखाकर आरक्षित किया जा सकता है। पैकेट में भरने से पूर्व इन्हें धूप में भी एक बार सुखा लेना आवश्यक होता है। इससे इनके रंग तथा पोषक तत्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा सुरक्षित रहने की क्षमता बढ़ जाती है।

मोथा (साइप्रस रोटेन्डस)

"मोथा" खरपतवार से हमारे किसान ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तरफ फसलों के लिए जहां यह हानिकारक है, वहीं दूसरी तरफ इसकी उपयोगिता भी विशिष्ट है। इसके राइजोम का पाउडर बनाकर यदि बाजार में बेचा जाए तो अच्छा धनोपार्जन किया जा सकता है। एक किलोग्राम मोथा पाउडर की कीमत 150 रुपये के लगभग होती है। इसका बाजार विशेषकर लखनऊ है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा "सुगन्धको" मोथा पाउडर खरीदता तथा बेचता है। दक्षिण भारत में अगरबत्ती बनाने में इसका खूब उपयोग होता है। इसका प्रयोग नहाने में भी किया जाता है, जिससे पसीने से उपजी शरीर की दुर्गन्ध दूर हो जाती है तथा शरीर की कांति बढ़ जाती है। आजकल शहरों में प्रचलित ब्यूटी पार्लरों में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ज्वर को दूर करने में भी मोथा पाउडर अथवा ताजे राइजोम का प्रयोग किया जा सकता है। तीन ग्राम मोथा पाउडर अथवा नौ ग्राम ताजे राइजोम को मधु व चीनी के साथ देने से ज्वर दूर हो जाता है।

अंततः यह स्पष्ट है कि यदि कृषि आधारित इन उद्योगों को ग्रामीण अपने गांव-घर में विकसित करें तो उनकी पारिवारिक तथा गांव की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। परिवारों से बना गांव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक विकास की ओर उन्मुख हो जायेगा। अतीत की भांति हमारे गांवों में समृद्धि लौट आयेगी। आज की विपन्न स्थिति इन कुटीर उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से है जो आय के प्रबल स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। सरकार इन उद्योगों को पुनः गांव में स्थापित कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है। अनेक वित्तीय संस्थाएं ऋण सुविधा मुहैया करा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर ग्रामीण आय के स्थायी स्रोत के रूप में इन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।

□ □ □

वन हैं तो जीवन है, अन्यथा...

डा० गुलाव सिंह बघेल
प्रवक्ता भूगोल, दुर्गा नारायण महाविद्यालय,
फतेहगढ़ (उ. प्र.)

महात्मा गांधी ने कहा था "प्रकृति सबके पोषण की क्षमता रखती है परंतु किसी एक के लालच को पूरा करने की नहीं।" प्रकृति अपना बदला अवश्य लेती है, यह तथ्य मात्र-कल्पना नहीं है अपितु एक कटु सत्य है। प्रकृति से उत्पन्न मानव सदियों से अपने स्वार्थ हित के लिए प्रकृति और प्राकृतिक सम्पदाओं का अविवेकपूर्ण दोहन करता आया है जिसका परिणाम समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदायें और उनसे होने वाली अपार धन-जन हानि है। वन प्राचीन संस्कृतियों के लिए वरदान थे इसीलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति को 'अरण्य संस्कृति' के नाम से भी जाना जाता था। वनों की गोद में उपजी और पर्यावरण के अति निकट साहचर्य में पल्लवित तथा पुष्पित संस्कृति का स्वरूप आज इतना विकृत हो गया है कि पहाड़ों पर उगे जंगल धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। एक जीवित वृक्ष काटने में उसके वास्तविक मूल्य का मात्र 0.3 प्रतिशत लाभ ही प्राप्त हो पाता है। वन-वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 50 टन वजन का एक सामान्य वृक्ष अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक वातावरण में आक्सीजन देकर, मिट्टी का क्षरण रोककर, प्रदूषण कम करके तथा प्रोटीन का उत्पादन करके लगभग 16 लाख रुपये का लाभ समाज को प्रदान करता है।

वस्तुतः हमें वन सम्पदा की उपयोगी और बहुमूल्य सेवाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचानी चाहिए और वन संरक्षण तथा वन विकास के सघन प्रयास करने चाहिए तभी पर्यावरण की परिशुद्धता बनी रह सकेगी। अपने जीवन का शतक पूरा कर रहे 'वृक्ष मानव' (Man of the Trees) नाम से विख्यात वन प्रेमी, न्यूजीलैंड निवासी डा. रिचार्ड सेंट बर्वे जब भारत आये तो 'चिपको' आंदोलनकारियों को बधाई देने के साथ-साथ एक संदेश भी दिया कि "भारत में केवल 12 प्रतिशत वृक्षावली शेष रह गई है, परिस्थिति बहुत गंभीर है। भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम एक तिहाई और हिमालय के लिए दो तिहाई वृक्षावली परमावश्यक है।"

वनों का पर्यावरणीय महत्व

वन, वृक्षों से आच्छादित एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो मूलरूप से सूर्यताप, आंधी और अनार्द्रता प्रतिरोधक का कार्य करता है। वन चाहे हरे भरे हों या सूखे, उनमें उगे वृक्ष निरंतर ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते रहते हैं जो समस्त जीवधारियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों को वन के नाम से जाना जाता है।

वनों के विनाश से उत्पन्न पारिस्थितिकीय असंतुलन के परिणामस्वरूप बाढ़, भूक्षरण, भू-स्खलन, नये रेगिस्तानी क्षेत्र, मरुस्थलों का फैलाव, सूखा, महामारी आदि ने हमें विवश कर दिया है कि हम पर्यावरण के संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करें और अपनी तथा पृथ्वी के अन्य जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने का हर संभव प्रयास करें। हमारे आर्थिक, सामाजिक तथा पारिस्थितिकीय विकास में वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त वन, जल-चक्र नियंत्रण, मृदा-संरक्षण, मृत और सड़े-गले पदार्थों के पुनर्चक्रण, वातावरणीय गैसों के संयोजन और विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जन्तुओं के लिए जैविक भंडार के रूप में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताएं वनों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत ऊर्जा वनों से प्राप्त होती है। भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत वनोपज और वन कटाई है। हमारे देश में वन निर्धनतम स्तर तक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक जीवन में महती भूमिका निभाते हैं परंतु वनों के विकास पर किया जाने वाला निवेश बहुत कम है। देश के वन स्रोतों की विशालता को देखते हुए और उन पर पड़ने वाले दवाब को ध्यान में रखते हुए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान नगण्य है। यदि भारत के 419.6 करोड़ घनमीटर वन भंडार का न्यूनतम मूल्य भी लगाया जाए तो वह भी 4,00,000 करोड़ रुपये से कम न होगा। अब यदि इनके रख-रखाव पर इस राशि का

0 5 प्रतिशत भी व्यय किया जाए तो यह रकम 2,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आती है।

वन क्षेत्रों का भारतीय परिदृश्य

देश में वनों का कुल क्षेत्रफल 19.47 प्रतिशत है। इन वनों में भी उपयोगी किस्म के वनों का प्रतिशत मात्र 11.73 है जबकि वन नीति के अंतर्गत संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत पर वन होना अनिवार्य है। भारतीय वन क्षेत्र का सबसे पहला वैज्ञानिक आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण ने 1987 में किया था। जिसका विवरण निम्न तालिका में है:

सारणी-1

भारतीय वनों का वर्गीकृत प्रारूप

विवरण	वन क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर में)	कुल का प्रतिशत
वर्तमान वैधानिक स्थिति	–	–
आरक्षित	39.01	52.2
संरक्षित	23.21	31.0
अवर्गीकृत	12.56	16.8
योग	74.78	100.0
स्वामित्व	–	–
राज्य	71.63	95.8
निगमित संस्थायें	1.95	2.6
व्यक्तिगत	1.20	1.6
योग	74.78	100.0
संरचना	–	–
शंकुधारी	4.76	6.3
चौड़ी पत्ती वाले	63.51	84.9
वांस तथा अन्य	6.51	8.8
योग	74.78	100.0
घनत्व	–	–
सघन वन	37.85	59.11
खुले वन	25.74	40.20
मैंग्रोव वन	0.42	0.69
योग	64.01	100.0
प्रकार्य	–	–
विक्रेय	59.49	77.89
अगम्य	16.04	22.11
कुल योग	75.53	100.0

स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1991, स्टेटिस्टिकल एव्सट्रेक्ट आफ इंडिया, 1989

सारणी-2

भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (सेटेलाइट चित्रों पर आधारित)

सर्वेक्षण वर्ष	रिपोर्ट संख्या	प्रकाशन वर्ष	वनों का क्षेत्रफल (000 वर्ग किलोमीटर में)	घटत/वढ़त
1981-82	प्रथम	1987	642.000	—
1985-87	द्वितीय	1989	640.130	-1.870
1987-89	तृतीय	1991	639.182	-0.948
1989-91	चतुर्थ	1993	640.107	+0.925

नोट : (—) घटत का सूचक तथा (+) बढ़त का सूचक है।

उल्लिखित सारणी-2 से एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय वन क्षेत्रों में लगातार गिरावट आती जा रही थी। चतुर्थ रिपोर्ट में वन क्षेत्र में 0.925 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि प्रदर्शित की गई है। उक्त रिपोर्ट के विश्लेषण तथा वन क्षेत्रों के गहनतम वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि हमारा वन क्षेत्र आधार वर्ष 1981-83 से लेकर 1987 तक 1,870 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारतीय वन 47,500 हेक्टेयर प्रतिवर्ष की उल्लेखनीय दर से क्रमशः घटते जा रहे थे। वर्ष 1989-91 में भारतीय वन परिदृश्य में 925 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अंकित हो गई। यहां पर एक तथ्य और स्पष्ट कर देना उचित होगा कि विगत वर्षों में सघन वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा खुले वनों के क्षेत्रफल में कमी हुई है। 1991 से लेकर 1993 तक दोनों ही प्रकार के (सघन व खुले) वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। ऐसा इसीलिए संभव हो रहा है कि फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 का कड़ाई से पालन किया जा रहा है तथा जन सामान्य भी वृक्षों के महत्व को समझकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने लगे हैं। वन हमारे जीवनदाता, पोषक तथा परम हितैषी हैं इसीलिए जीवन के साथ जुड़ा है जीव और वन। हमें इसे आत्मसात करना होगा ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो सके।

'वृज निकुंज'
194, राजीव गांधी नगर,
फरूखावाद - 209625

(पृष्ठ 35 का शेष)

ग्रामीण वेरोजगारी...

दिया जाना चाहिए कि किन कार्यक्रमों से रोजगार की संभावनाओं में निरंतर वृद्धि संभव है।

- इन विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- वजट वनाते समय प्राथमिकताओं का चयन सावधानी से कर उनके इसी क्रम में क्रियान्वयन की योजना वनाना।
- योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग सावधानी से की जाए तथा जो कार्य हो रहे हैं या सम्पन्न हो चुके हैं उनकी जानकारी खुले तौर पर उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करना। अभी तक प्रशासन तंत्र का रवैया इस प्रकार का है कि लाभार्थियों की सूची तथा किए गए कार्यों का विवरण प्रायः गोपनीय रखा जाता है। इसके फलस्वरूप प्रचारित उपलब्धियों तथा वास्तविकता में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। इस परिस्थिति में भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- प्रगति प्रतिवेदनों में व्यय की अपेक्षा भौतिक उपलब्धियों को अधिक महत्व दिया जाए। प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता को लिखित रूप से समय-समय पर दी जाए।

यदि जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन खुले रूप से किया जाता है तथा उसमें गैर कृषि उत्पादन तथा विपणन को सम्मिलित किया जाता है तो देश विश्वास तथा सक्षमता से इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ सकता है।

14/3, गीतांजलि कालोनी,
शंकर नगर, रामपुर,
(म.प्र.)-492007

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण : रिकार्ड उपलब्धियां

डा० संजय आचार्य

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को आत्मसात करने वाला राज्य मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए प्रयत्नशील है। ग्रामीण विद्युतीकरण से जहां एक ओर कृषि को शीर्ष पर पहुंचाया जा सकता है और ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है वहीं रोजगारोन्मुखी विकास कार्यक्रमों के लिए भी विद्युत शक्ति की वृद्धि दर बढ़ाना आवश्यक है।

ग्रामीण विद्युतीकरण से गांवों में प्रकाश की व्यवस्था होने के साथ-साथ कृषि और सिंचाई के साधन भी विकसित होते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर भारत सरकार ने एक विशाल धनराशि व्यय की है और इस कार्यक्रम की ओर पर्याप्त ध्यान भी दिया है। भारत में इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भूमिका सराहनीय रही है। वर्ष 1983 में निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 22 राज्यों की 6500 परियोजनाएं स्वीकृत कीं और कुल 250 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई। निगम स्वीकृत योजना के प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराता है और क्रियान्वयन के अंतिम वर्ष में शेष 30 प्रतिशत राशि देता है। निगम ने एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सिंचाई पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु 'ऋण योजना' का भी शुभारंभ किया। इन प्रयासों का ही परिणाम था कि जहां प्रथम योजना में देश में 3000 गांवों में विद्युत सुविधा प्राप्त थी वहीं 1990 तक देश के 79 प्रतिशत गांव विद्युत सुविधा से आलोकित हो गये थे।

मध्य प्रदेश राज्य की विशालता को देखते हुए राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का विशिष्ट स्थान है। ग्रामीण आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं का विशिष्ट महत्व है। मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 136 गांव ही विद्युत से आलोकित थे वहीं सातवीं योजना के अंत तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या 61,475 थी। मध्य प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना की समाप्ति तक राज्य के सम्पूर्ण गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त विवरण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि राज्य सरकार राज्य में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कृत संकल्प है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उल्लेखनीय वित्तीय योगदान किया है। निगम ने अनेक परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया है।

मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण

मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य है। इसमें कुल गांवों की संख्या 70,586 है। राज्य की प्रथम योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण सर्वथा सीमित था। उस समय प्रदेश के कुल 136 ग्रामों में विद्युत सुविधा थी और 30 सिंचाई पम्प विद्युत सुविधा युक्त थे।

राज्य की द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार अधिक नहीं हो पाया था कुल 547 गांवों में बिजली थी और 1822 सिंचाई पम्पों को इसी समय विद्युत सुविधा प्राप्त थी।

राज्य की तीसरी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार के लिए प्रयास किये गये परंतु सम्पूर्ण योजनावधि में मात्र 1320 गांवों को विद्युत सुविधा प्रदान की गई और 7,300 सिंचाई पम्पों को विद्युतीकृत किया गया।

राज्य की चतुर्थ योजना ग्रामीण विद्युतीकरण के दृष्टिकोण से एक प्रभावी योजना मानी गई। इस योजनाकाल में कुल 10,703 ग्रामों को विद्युतीकृत करके 1,54,956 सिंचाई पम्पों को बिजली दी गई। इस योजना की विशिष्ट बात यह थी कि इसी समय राज्य को भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आर्थिक सहायता मिलने लगी थी।

राज्य में पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के अविकसित क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना था। योजना के निम्नलिखित लक्ष्य थे :

(अ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण सहायता से और 2,725 गांवों में बिजली पहुंचाना और 54,500 कृषि पम्पों को भी विद्युतीकृत करना।

(ब) उद्वहन सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 19 करोड़ रुपये की लागत से 1,680 गांवों को विद्युतीकृत कर 35,950 कृषि पम्पों को अतिरिक्त रूप से विद्युत सुविधाएं देना प्रस्तावित था।

इस योजना के अंतिम वर्ष 1979 तक कुल 19,350 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका था और 3,29,030 पंपों हेतु विद्युत लाईनें विछाने का कार्य भी पूरा किया जा चुका था।

राज्य की छठी योजना में प्रदेश के 90 प्रतिशत गांवों को विद्युत सुविधा प्रदान करना मुख्य लक्ष्य था। योजना के दौरान 1,89,000 पंपों को विद्युत प्रदान की गई।

प्रदेश की सातवीं योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी। योजनाकाल में कुल 17,000 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाना था और लगभग 2,00,000 पंपों को विद्युतीकृत करना निर्धारित था। इस लक्ष्य को निकटतम बिंदु पर प्राप्त कर लिया गया था।

मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प लिया है कि आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक प्रदेश में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण कर गांवों से अंधकार दूर कर दिया जाएगा। पूर्व प्रयासों को देखकर इस संकल्प पर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्तमान स्थिति

प्रदेश में जब ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में इस क्षेत्र में तीव्रता से विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में मार्च 1982 तक कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 29,020 थी। राज्य की सातवीं योजना में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 61,475 थी।

प्रदेश में वर्ष 1985-86 की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल 1,569 परियोजनाएं चलायी गई थीं तथा इन पर 584.67 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इसी समयावधि में 17 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का भी गठन किया गया था और कम आबादी वाले ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए गये। वर्ष 1985-86 में विद्युतीकृत 3,371 गांवों में से 75 प्रतिशत गांव 500 से कम आबादी वाले तथा 22 प्रतिशत गांव 500 से 999 वाली आबादी के थे। वर्ष 1986 के अंत तक 1,000 से कम आबादी वाले 83.7 प्रतिशत गांवों को विद्युत की सुविधा प्राप्त थी।

समीक्षा

प्रदेश में एक विपुल धनराशि को व्यय करके ग्रामीण विद्युतीकरण को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था तथापि अपरिहार्य कारणों से इस लक्ष्य को पाया नहीं जा सका। अब विश्वास है कि प्रदेश में इस लक्ष्य को 1997 में आठवीं योजना की समाप्ति पर प्राप्त कर लिया जाएगा क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में 92 प्रतिशत ग्राम विद्युत से आलोकित हैं और इस मान से 8 प्रतिशत का लक्ष्य अधिक दुर्गम नहीं कहा जा सकता है।

राज्य की अडिग निष्ठा और दृढ़ संकल्प का परिणाम यह है कि प्रदेश के आंशिक ग्राम ही विद्युत सुविधा से वंचित हैं और यह न्यूनता भी कुछ समय की बात होगी। राज्य की आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक प्रदेश में एक-एक ग्राम में बिजली पहुंच जायेगी। जनसंख्या और क्षेत्रफल के रूप में विस्तृत मध्य प्रदेश जैसे ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धि निश्चय ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाएगी। प्रदेश की इस उपलब्धि की प्रत्येक नागरिक को प्रतीक्षा है।

वाणिज्य विभाग,
डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म. प्र.)

> जब पंचायत राज स्थापित हो जायेगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखायेगा, जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। जमींदारों, पूंजीपतियों और राजाओं की मौजूदा सत्ता तभी तक चल सकती है, जब तक कि सामान्य जनता को अपनी शक्ति का भान नहीं होता।
> **—महात्मा गांधी**

पर्यावरण और विकास की एक सफल कहानी: बहियार

एच. एस. गुप्ता

बिहार का पलामू क्षेत्र पिछले वर्ष देश विदेश के समाचार पत्रों में काफी चर्चित रहा, क्योंकि 1993 में यहां शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। इसी पलामू क्षेत्र में गढ़वा नामक एक नव सृजित जिला है, जो बिहार की दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। इस जिले के नगर ऊंटारी प्रखण्ड में बहियार नाम का गांव है। वैसे तो यह गांव भी बिहार के अन्य गांवों जैसा ही दिखता है किन्तु वास्तव में यह गांव आस-पास के गांवों से बिल्कुल अलग है। इसका कारण है इसकी खैर आदि वृक्षों से हरी-भरी पहाड़ियां और भरपूर फसल देते खेत-खलिहान। वैसे तो गढ़वा जिला मुख्यालय से बहियार जाने के रास्ते में छोटी-बड़ी तमाम पहाड़ियां हैं परन्तु वृक्षविहीन होने के कारण बड़ा नीरस सा दृश्य उत्पन्न करती हैं। बहियार की हरियाली और खुशहाली का कारण है यहां के लोगों की भागीदारी।

बहियार नगर ऊंटारी ब्लाक के बड़े गांव में से एक है। यहां पर 318 घरों में कुल 3,267 लोग रहते हैं, जो सभी जाति और समुदायों के हैं। इनमें से कुछ हरिजन हैं तो कुछ आदिवासी हैं, कुछ पिछड़े हैं तो कुछ अगड़ी जाति के भी हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन खेती-बाड़ी पर आधारित है। एक औसत परिवार की भूमि दो से पांच एकड़ के बीच है। यहां खरीफ के मौसम की मुख्य पैदावार मक्का, धान, तिल और अरहर है तथा रबी के मौसम में सिंचाई उपलब्ध होने पर लोग गेहूं, जौ तथा चना आदि भी उगाते हैं।

यद्यपि पूरे गांव में जंगल का क्षेत्रफल 122 हेक्टेयर है परन्तु कुछ साल पहले तक सारा जंगल काफी उजाड़-सा था। बीते वर्षों में वन विभाग द्वारा किये गये वनरोपण और 1987 में 50 हेक्टेयर भूमि पर लगाये वृक्ष अब भी बचे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने तय कर रखा है कि इन्हें हर कीमत पर बचाना है। गांव वाले बताते हैं कि उनके गांव के वनों की क्षति होने के कई कारण हैं--माफिया तत्वों द्वारा वन विनाश, गांव वालों द्वारा वनों को नुकसान पहुंचाना तथा वन कर्मचारियों द्वारा ढिलाई या मिली भगत। एक लम्बे अरसे से वन जैसी प्राकृतिक सम्पदा को निरंतर क्षति पहुंचाने का परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र को शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा 1992-93 में झेलना पड़ा। स्थिति यह हो गयी थी कि बहियार सहित तमाम गांवों में न पीने का पानी था, न अनाज था, न रोजगार और न मवेशियों के लिए चारा ही था। परिणामस्वरूप गांव वालों को मजदूरी की तलाश में गांव से भागना पड़ा। कितने ही असहाय तो भुखमरी से मर भी गए। यह सब कुछ न होता यदि यहां के जंगल बचे हुए और हरे भरे रहते। इसी भयंकर सूखाड़ की विभीषिका को झेलते हुए बहियार के ग्रामीणों के मन में एक योजना सूझी कि अब अगली बरसात के बाद उन्हें क्या करना है। उनके इस प्रयास में स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ''भारत-भारती स्वयंसेवी संस्थान'' तथा वन विभाग ने काफी सहयोग और प्रोत्साहन दिया।

सभी पहलुओं पर विचार कर गांव वाले इस निर्णय पर पहुंचे कि सूखाड़ जैसी समस्या का मूल कारण वन और अन्य प्राकृतिक सम्पदा को गांव वालों तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरंतर क्षति करना है। इसके अतिरिक्त जो वर्षा होती है उसका सही ढंग से उपयोग न कर पाना है। इस पर उन्होंने तय किया कि बचे हुए जंगल और पेड़-पौधों को बचाया जाए। इसके लिए उन्होंने 1991 में गठित ''बहियार ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबन्धन समिति'' के तहत जंगल बचाने के प्रयास शुरू किये। उनके इन प्रयासों में वन विभाग का भी पूरा सहयोग रहा। ग्रामीणों के उत्साहपूर्ण प्रयास को देखकर जब स्थानीय डिवीजनल फोरेस्ट अफसर एक बार गांव गये तो गांव वालों ने उन्हें एक कुएं के निर्माण के लिए राजी कर लिया। उस कुएं के बारे में गांव वालों ने पहले ही तय कर लिया था कि वह कहां होगा। हालांकि डी. एफ. ओ. शुरू में गांव वालों द्वारा तय जगह पर कुंआ खुदवाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ग्रामीणों के बार-बार अनुरोध करने तथा कारण बताने पर उन्होंने ग्रामीणों द्वारा बतायी जगह पर ही कुएं की स्वीकृति दे दी। पर नतीजा बहुत ही अविश्वसनीय रहा : गर्मी के दिनों में जब सारा इलाका

तप रहा था और अच्छे कुंओं का पानी भी सूख रहा था, उन्हें खुदाई के मात्र 1.8 मीटर (6 फीट) पर ही बहुत अच्छा पानी मिल गया। इस घटना ने गांव के विकास को बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक कुआं ग्रामीणों तथा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। इससे ग्रामीणों ने यह साबित किया कि गांव में बनी विकास योजना भी सफल हो सकती है और इसी प्रक्रिया द्वारा ही ग्रामीणों को किसी विकास योजना से जोड़ा जा सकता है। और इसके बाद ही गांव के विकास के पन्ने पलटे। ग्रामीणों के उत्साह का समाचार जिला मुख्यालय में पहुंचा, तत्कालीन कलक्टर स्वयं गांव में गए। वन संरक्षण हेतु सहभागी प्रयास तथा विकास के लिए गांव वालों के उत्साह ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने गांव को सूखाड़ोन्मुख कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) में शामिल कर लिया।

अब इस गांव में वाटर शेड के आधार पर कई चेक डैम, तालाव आदि बनाये गये हैं। इस समृद्धि से गांव वालों के विकास के प्रति दृष्टिकोण में और बदलाव आया। उन्होंने गांव में बने एक बड़े तालाव का कार्य 2.53 लाख रुपये में ही पूरा कर लिया जबकि सिंचाई विभाग का अनुमान 3.8 लाख रुपये का था। गांव में अनेक तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण हो जाने से वर्षा ऋतु में पानी का संचय किया जा रहा है और इस कारण गांव वाले 30 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में खरीफ की फसल और 20 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में रबी की फसल ले पा रहे हैं। इस प्रकार वाटर टावर योजना आदि से की गयी सिंचाई से दो लाख रुपये की अतिरिक्त पैदावार गांव में हुई।

पर्यावरण मोर्चे पर "भारत-भारती" नामक स्वयंसेवी संस्था के निर्देशन में एक स्थायी पौधशाला (नर्सरी) शुरू की गई है। जिसमें विभिन्न फलदार जातियों के ढाई लाख पौधे तथा अन्य व्यावसायिक प्रजातियों के साढ़े सात लाख पौधे तैयार हो सकेंगे। इन तैयार पौधों की आस-पास के गांवों में बिक्री से, इस पौधशाला का कार्य साल दर साल जारी रखा जायेगा। इस प्रकार यह पौधशाला न केवल आस-पास के बड़े इलाके में हरियाली तथा समृद्धि का प्रसार करेगी बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को सतत रोजगार भी उपलब्ध करायेगी।

ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की गई है। इसके तहत गांव की 10 एकड़ जमीन पर शहतूत की खेती की जा रही है। 1994 के वरसात के मौसम में स्वयंसेवी संगठन ने पांच लाख से अधिक पौधों (कलम के रूप में) तथा 35 कि.ग्रा. रेशम के कोये (ककून) का उत्पादन किया। इस योजना के तहत निकट भविष्य में गढ़वा जिले में कुल 100 एकड़ भूमि पर शहतूत की खेती कर रेशम कीट पालन करना तथा करीब 1000 लोगों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराना लक्ष्य है।

इन प्रयासों से गांव वालों को यह विश्वास हो गया कि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू साबित हो सकते हैं बशर्ते किसी भी विकास योजना में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तथा योजना से होने वाले लाभ को प्रत्येक ग्रामीण के बीच बांटा जा सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल
गढ़वा (बिहार)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता :

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाऊस
नई दिल्ली-110001

एक प्रति : पांच रुपये **वार्षिक चंदा : 50 रुपये**

किसानी छोड़ किसान बने

✍ रामस्वरूप जोशी

"अब तो म्हाकी तकदीर ही बदलेगी। जमीन की जोत छोटी थी, मक्का-बाजरी बो देते थे, इन्द्र बाबा की कृपा हो जाए, मेह बरस जाए तो कुछ दाने घर आ जाते थे। हम और हमारा परिवार किसानी (कृषि-मजदूरी) करते थे, यही हमारे भाग (भाग्य) में लिखा था। परंतु ग्राम पंचायत ने हमें कुआं खोदने की सलाह दी, उन्होंने बताया कि कुआं खोदने के लिए राज्य सरकार सहायता देगी, मेहनत कर कुआं खोदो तो तुम्हें पम्प के लिए ऋण व सहायता भी मिल जायेगी।

"मन ने कहा कि ग्राम सेवक की बात मान लें, क्या पता इसी से बच्चों का भाग्य बदल जाए। जब पड़ौस के खेतों में कुआं होने से गेहूं, चना और सरसों की पैदावार हो रही है, तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। सलाह मानकर पंचायत समिति में प्रार्थना पत्र दिया। कुछ ही दिनों बाद कुआं बनाने की स्वीकृति मिल गई। कुछ पैसों का जुगाड़ किया, हम और हमारे परिवार ने खुदाई प्रारंभ की, बाद में हमें समय-समय पर सहायता मिली। कुएं में पानी आते ही हमने थालियां बजाईं।

"कुओं में पानी था, जमीन फिर भी प्यासी। पंचायत समिति में प्रार्थना की। हमारी गुहार से विकास अधिकारी जी ने पम्पसैट लगाने के लिए ऋण दिलाया। ऋण के साथ-साथ कुछ आर्थिक सहायता भी मिली। और इससे गत वर्षों में हम किसानी (कृषि मजदूर) से किसान बन गये। हमने दो फसलें लीं। गेहूं, सरसों, सोयाबीन के साथ-साथ सब्जी-आलू, टमाटर, मिर्च आदि भी ली।"

ये उद्‌गार राज्य के जीवा गरासिया (सिरोही), भेमा भील (डूंगरपुर), आयदान मेघवाल (बीकानेर), मोटाराम मेघवाल (जालौर), पूनाराम भील (राजसमन्द), ओमी जाटव (धौलपुर) जैसे अनेक किसानों के है, जिनकी केंद्र प्रायोजित योजना जीवनधारा के तहत तकदीर बदली है। इस योजना के तहत सहायता देकर खोदे गये सिंचाई कुओं ने सचमुच में किसानों की जीवनधारा का काम किया है। वे अब इन कुओं से भरपूर पैदावार ले रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

डूंगरपुर जिले के रपतागर ग्राम के भेम जी (आदिवासी) का कुआं जीवनधारा योजना के तहत वर्ष 93-94 में बनकर तैयार हुआ, उस कुएं पर मैसिव योजना के अंतर्गत डीजल पम्पसैट लगाया। इसके बाद भेम जी ने अपनी 10 बीघा पहाड़ी जमीन में डेढ़ बीघा भूमि को खेती योग्य बनाया और उसमें भिंडी, ग्वारफली और अन्य सब्जियां बोईं। वर्ष 94 की गर्मियों के मौसम में उसने हर तीसरे दिन 50 से 100 रुपये की सब्जियां बेचीं। भेम जी के दो लड़के अहमदाबाद में काम करते हैं। भेम जी गर्व से कहता है कि उसके कुएं में पानी आ गया है और वह लड़कों को वापस बुलाएगा और वर्ष में तीनों फसलों की पैदावार लेगा।

जालौर जिले के ग्राम देवड़ा के मोटाराम मेघवाल के पास साढ़े बीस बीघा जमीन है जिस पर वह बाजरा, सरसों की खेती हेतु सिंचाई का पानी पास के कुएं से उधार लिया करता था। पानी के बदले कुल उत्पादन का आधा भाग उसे चुकाना पड़ता था। मजदूरी पर कुल उत्पादन का 33 प्रतिशत भाग खर्च हो जाता था और मोटाराम को उत्पादन का मात्र 17 प्रतिशत ही मिल पाता था। जबकि उसे बीज और पानी के लिए हर वर्ष कर्ज लेना पड़ता था। धीरे-धीरे कर्ज बढ़कर इतना हो गया कि मोटाराम की सारी कमाई कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। 1990-91 में मोटाराम ने जीवनधारा के तहत 18,700 रुपये की सहायता से कुआं खुदवाया और बिजली का कनेक्शन लिया। पानी की सुविधा होने पर मोटाराम ने रबी की फसल लेना आरंभ किया। मोटाराम का पानी के बदले चुकाया जाने वाला 50 प्रतिशत हिस्सा सीधा बचने लगा। आज मोटाराम के दोनों लड़के उस जमीन पर काश्त कर रहे हैं। रबी की फसल में 15 बीघे पर सरसों और पांच बीघे पर गेहूं की फसल ले रहे हैं। वह सारा खर्चा निकाल कर लगभग चार लाख रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त कर रहा है।

सिरोही जिले के ग्राम भंवरी के श्री जीवा गरासिया (आदिवासी) के पास पांच बीघा भूमि है जिस पर कृषि वर्षा पर निर्भर थी उस पर मक्का की पैदावार करता था और अन्य जमींदार के यहां मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। जीवा

(शेष पृष्ठ 48 पर)

घरेलू औषधि

मसाला ही नहीं, औषधि भी हल्दी

मंजू पाठक

हल्दी जहां एक तरफ धार्मिक दृष्टि से पवित्र और शुभ मानी जाती है वहीं प्रत्येक घर में साग-सब्जियों में भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार घरेलू उपयोग में आने वाली इस हल्दी में अनेक औषधीय गुण हैं।

हल्दी स्वभाव में तिक्त, रूक्ष, वर्ण करने वाली तथा कफ, पित्त, त्वचा के दोष, रक्तदोष, सूजन, मधुमेह एवं तृण को दूर कर राहत पहुंचाने वाली है।

आयुर्वेद की अनेक औषधियों के निर्माण में हल्दी का प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक तेल, घृत, आसव आरिष्टों एवं चूर्णों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। पारद संहिता में हल्दी के कल्प का वर्णन किया गया है। हल्दी के प्रमुख औषधीय गुण इस प्रकार हैं :

चोट पर लगने पर

यदि शरीर के किसी भी भाग में चोट लग गयी हो और वहां सूजन आ गयी हो तो हल्दी पीसकर उसमें चूना मिलाकर चोट लगे स्थान पर लेप करना चाहिए। यदि चोट भीतरी हो तो गाय के गुनगुने दूध में हल्दी का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से दर्द कम हो जाता है और यदि घाव हो गया हो तो इसका लेप लगाने से कीटाणु नष्ट हो जांते हैं। इस तरह यह कीटनाशक भी है।

फोड़े को आराम

यदि फोड़ा फूटा हुआ न हो तो अलसी के पुल्टिस में हल्दी मिलाकर फोड़े पर बांधने से फोड़ा जल्दी ही पक कर फूट जाता है एवं मवाद बाहर आ जाता है और वह जल्दी ही ठीक हो जाता है।

हल्दी का प्रयोग चर्म रोग, जुकाम एवं श्वास की एलर्जी में भी लाभदायक होता है।

खांसी में लाभदायक

हल्दी सात माशा और आमी हल्दी दो माशा लेकर इन दोनों को पानी के साथ पीसकर मटर के दाने के बराबर गोलियां बनाकर इनका सुबह तथा शाम जल के साथ सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। यदि खांसी सूखी हो तो गर्म दूध में हल्दी का एक चम्मच चूर्ण मिलाकर पीने से खांसी ढीली हो जाती है और कफ बाहर आ जाता है। सूखी खांसी में शहद के साथ भी हल्दी का सेवन उपयोगी होता है। इनकी गोलियां बना लेनी चाहिए और जब खांसी आये तो इसे मुंह में रखने से खांसी का वेग कम हो जाता है।

उदर गैस में लाभदायक

यदि पेट में गैस बन रही हो तो पिसी हुई हल्दी 10 रत्ती और इतनी ही मात्रा में काला नमक मिलाकर गर्म जल के साथ सेवन करने से तत्काल लाभ मिलता है।

दांत के रोग में उपयोगी

यदि दांत दर्द होता हो या उसमें अन्य विकार हों तो हल्दी का मंजन विशेष उपयोगी होता है। मंजन बनाने हेतु हल्दी की गांठ को धीमी आंच पर भूनकर इसे बारीक पीस कर कपड़े में छान लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर प्रतिदिन प्रातः तथा सायं भोजन से पूर्व इसका मंजन करना चाहिए।

कान के रोग में उपयोगी

कान बहने, कान दर्द, कान में पीप या मवाद होने पर हल्दी का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। कान की तकलीफ होने पर हल्दी को उसकी मात्रा से दोगुने पानी में महीन पीस कर छान लेना चाहिए। इसके बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाना चाहिए। जब पककर केवल तेल रह जाए तो

उसे शीशी में रख लेना चाहिए और जब भी कान संबंधी तकलीफ हो तो थोड़ा गुनगुना करके दो-तीन बूंदें कान में डालना चाहिए। कान की किसी भी प्रकार की तकलीफ में इससे आराम मिलता है।

मुख संबंधी रोगों में भी लाभदायक

मुख संबंधी तकलीफ तथा हलक तालू एवं मुंह में छाले पड़ जाने की स्थिति में या गले में गिल्टियां निकली हों तो उसमें हल्दी सेवन उपयोगी होता है। मुंह में छाले पड़ने पर एक तोला हल्दी को कूट पीस कर एक लीटर पानी में उबालना चाहिए। जब खूब उबल जाये तो उतार कर ठंडा कर उससे सुबह शाम कुल्ला करना चाहिए। ऐसा करने से मुख के अन्दर के छाले ठीक हो जाते हैं तथा जलन समाप्त हो जाती है।

यदि गले में गिल्टियां निकल आयी हों तो हल्दी को महीन पीस कर छः माशा की मात्रा में सुबह जल के साथ इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ हल्दी को पानी में पीसकर हल्का गर्म करके गले पर इसके लेप से लाभ मिलता है।

सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हल्दी का प्रयोग

सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी हल्दी विशेष उपयोगी है। अनेक आयुर्वेदिक क्रीमों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। विवाह से पूर्व लड़कियों एवं लड़कों को हल्दी लगाने का विधान है जिसका मुख्य कारण यह है कि हल्दी का लेप लगाने से त्वचा कांतिमय हो जाती है और रंग गोरा हो जाता है।

हल्दी और चन्दन के लेप से सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। रात के समय सोते वक्त चेहरे पर हल्दी का लेप लगाए और प्रातः काल उठकर हल्के गुनगुने पानी से धोकर मुलायम तौलिया से चेहरे को पोंछे। ऐसा कुछ दिन नियमित रूप से करने पर चेहरे की कांति खिल उठती है और चेहरा सुन्दर सुकोमल हो जाता है।

ग्राम पो.–नगवा,
जिला–बलिया (उ.प्र.),
पिन कोड-277001

(पृष्ठ 46 का शेष) **किसानी छोड़ किसान...**

ने भी जीवनधारा योजना के तहत 1992-93 में कुआं खोदने के लिए 27,600 रुपये की सहायता प्राप्त कर कुआं खुदवाया। कुएं में लगभग 6 मीटर (20 फुट) पर पानी आया। उसने कुएं पर मैसिव योजना के तहत डीजल पम्पसैट लगवाया और 1993-94 की खरीफ में मक्का, उड़द, मिर्च की फसलें और रबी में गेहूं की पैदावार लेकर अपनी वर्षों की तमन्ना पूरी की।

बीकानेर जिले के ग्राम झझू के श्री आयदान मेघवाल ने जीवन-धारा योजना के तहत सहायता प्राप्त कर 1992-93 में 63,700 रुपये से कुएं का निर्माण कराया था। उसके बाद कुएं के पानी से उसने 25 बीघे भूमि पर 40 क्विंटल सरसों की फसल ली, जिससे उसे 40,000 रुपये की आय हुई। इससे प्रोत्साहित होकर उसने इस वर्ष 15 बीघे में मूंगफली, पांच बीघे में बाजरा और 5 बीघे में गंवार तथा मोठ बोये हैं।

राज्य में गरीब किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की होती है। इसे ध्यान मे रखते हुए जवाहर रोजगार योजना के तहत चलाये जा रहे जीवनधारा कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे छोटे और मझले किसानों को कुओं के जरिये सिंचाई की सुविधा मुफ्त दी जाती है। योजना के प्रारंभ से गत छः वर्षों में राज्य में 47,246 कुओं का निर्माण कराया गया है। इसके लिए 1 अरब 32 करोड़ 8 लाख रुपये की सहायता मुहैया कराई गई। इससे लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। योजना के तहत वर्ष 1993-94 में राज्य में 4,844 नये कुओं का निर्माण कराया गया तथा 8,590 निर्माणधीन रहे। कुओं के निर्माण पर 13 करोड़ 1 लाख रुपये व्यय किए गये। राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में लागत के अनुसार 20 से 35 हजार रुपये की शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

योजना की सहायता से खोदे गये कुओं ने सचमुच किसानों की जीवनधारा का काम किया है और कुओं के निर्माण के बाद सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है और किसान भरपूर पैदावार लेकर खुशहाल हुए हैं।

उप-निदेशक, प्रचार,
विशिष्ट योजनाएं एवं ए. ग्रा. वि. विभाग,
ई-750, न्याय पथ, गांधी नगर, जयपुर-302015

ग्रामीण विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

साड़ियों और चादरों पर छपाई के काम में संलग्न महिलाएं

कालीन बनाने के काम में लगी ग्रामीण महिलाएं

डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/95
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी. एस. ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

R.N. 70/57
P & T Regd. No. D(DL) 12057/95
Licensed under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित और आकाशदीप प्रिन्टर्स, नई दिल्ली 110002 द्वारा मुद्रित